अध्याय -II

वाणिज्यिक बैंकिंग में नीतिगत गतिविधियां *

2.1 अपविनियमन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और वित्तीय नवोन्मेष के प्रभाव के अधीन वित्तीय मध्यस्थन पूरे विश्व में भारी परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। वस्तुतः बैंकिंग का परम्परागत रूप कुछ ही वर्षों पहले जैसा नहीं रहा है। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का स्वरूप नाटकीय रूप से बदल रहा है। अनेक देशों में अब बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाएं पारंपरिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आतीं। पुरानी संस्थागत सीमाएं अधिकाधिक धूमिल होती जा रही हैं। परिणामतः गैर-बैंक मध्यस्थकों से बढ़ी हुई स्पर्धा ने पारंपरिक बैंकिंग जिसमें बैंक जमाराशियां स्वीकार करते थे और अग्रिम देते थे जो उनकी बहियों में परिपक्वता तक पड़ी रहती थीं, को अस्तोन्मुखी बना दिया है । हाल के वर्षों में बैंकिंग कारोबार तीव्र गति से विविध वित्तीय सेवाओं के लिए 'एक स्थल पर सभी सुविधाएं' के रूप में उभर रहा है। रूपान्तरण की यह प्रक्रिया विशेषकर भारत, जैसी उभरती हुए बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रही है।

2.2 हाल ही की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों ने भी वित्तीय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के महत्त्व पर तेजी से ध्यान केन्द्रित किया है। भारत में, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने विनियामक तथा पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और उसे इस देश के लिए उचित रूप से अनुकूलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया है। यह नये बास्ले समझौते की दिशा में मार्गदर्शी सिद्धान्त रहा है। बैंकों के लिए ऋण, बाजार, देश और परिचालनगत जोखिमों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करके और अनेक विनियामक परिवर्तन लागू करके 2002-03 के दौरान जोखिम-प्रबंधन और गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबन्धन में सुधार लाने के प्रयास किये गये । पर्यवेक्षण में किये गये परिवर्तन में जोखिम आधारित और समेकित पर्यवेक्षण में प्रगति शामिल हैं। ऋण वितरण में सुधार लाने और प्रौद्योगिकी तथा कानूनी बुनियादी संरचना को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किये गये।

2.3 बैंकिंग के बदलते परिदृश्य के संदर्भ में वर्तमान अध्याय में भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग के क्षेत्र में 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान नीतिगत पहलों का विहगावलोकन किया गया है। मौद्रिक तथा ऋण नीति का समग्र जोर, उसकी लिखतों में परिवर्तन और ब्याज दरों, पुनर्वित्त सुविधाओं तथा संविधिक पूर्वक्रयों की अपेक्षाओं में परिवर्तनों को पहले प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षी नीति संबंधी गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। एक स्थिर और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन और गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन से संबंधित नीतिगत गतिविधियों पर उसके उपरांत चर्चा की गयी है। इसके बाद, नीति निर्माण में परामर्श-परक दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। ऋण-सुपुर्दगी में सुधार, मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों में परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकी और कानूनी बुनियादी संरचनाओं में सुधार के लिए प्रयासों पर चर्चा इसके बाद के अनुभागों में प्रस्तुत की गयी है। 'शेयर बाजार घोटाला' पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर और उससे संबंधित मामलों पर की गई कार्रवाई को अध्याय के अंत में प्रस्तुत किया गया है।

2 मौद्रिक और ऋण नीति

2.4 वृद्धिशील अर्थव्यवस्था के लिए एक ऊर्जस्वित, जीवंत और स्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्र का होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि वित्तीय क्षेत्र की आबंटनात्मक दक्षता को बढ़ाया जाये तथा वित्तीय स्थिरता को बनाये रखा जाये। इसके परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक के मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्यों में वित्तीय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए भी संरचनात्मक और विनियामक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्तीय क्षेत्र की सुधारों के प्रतिसाद में, हाल की अवधि में, मौद्रिक नीति ढांचा को विकसित किया गया है। सुधार के इन उपायों के पीछे मार्गदर्शी दृष्टिकोण मौद्रिक नीति के वृद्धिशील परिचालनात्मक दक्षता के उद्देश्यों, रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका का पुनः निरूपण करने, विवेकशील मानदण्डों को सशक्त बनाने, ऋण वितरण प्रणालियों में सुधार करने और प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का रहा है। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने नीतिगत उपायों को शुरू करने से पहले बेहतर तैयारी के लिए पर्याप्त समय देते हुए विशेषज्ञों और बाजार सहभागियों के साथ व्यापक मशविरा करने की नीति अपनायी है।

* इस अध्याय का मुख्य जोर 2002-03 के दौरान नीति सम्बंधी गतिविधियों पर रहा है; तथापि, जहाँ आवश्यक हुआ हाल की नीतिगत गतिविधियों का संदर्भ भी दिया गया है।

2.5 हाल के वर्षों में मौद्रिक नीतिगत दृष्टिकोण ने मूल्य स्तर पर सतर्कता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से नरम ब्याज दरों को वरीयता देते हुए बाजार में पर्याप्त चलनिधि बनाये रखने की रिज़र्व बैंक की वचनबद्धता को रेखांकित किया है। 2002-03 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति का निर्माण मजबूत पूंजी के आगम और कमजोर ऋण निकासी से विकसित सहज चलनिधि स्थितियों की पृष्ठभूमि में किया गया था। इन परिस्थितियों में रिज़र्व बैंक ने मध्यावधि में एक अधिक नरम ब्याज दर प्रणाली की ओर झुकाव के साथ चालू ब्याज दर वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलनिधि में सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति बनाये रखने का प्रस्ताव किया। 2002-03 के लिए मौद्रिक नीति की समग्र स्थिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मूल्य-स्तर में होनेवाली घट-बढ़ पर एक चौकसीपूर्ण निगरानी बनाये रखते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण की वृद्धि को पूरा करने और निवेशगत मांग को समर्थन देते हुए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करना।
- उक्त के अनुरूप नरम ब्याज दरों को अधिमानता देते हुए ब्याज दरों पर वर्तमान जोर को बनाये रखना, और
- मध्यावधि में ब्याज दर संरचना को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करना।

2.6 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में पिछले वर्ष की व्यापक नीतिगत स्वरूप बनाये रखने का प्रस्ताव किया गया है।

ब्याज दर संरचना

बैंक दर और रिपो दर

2.7 वृद्धि की स्थिति निर्माण करने के लिए एक नरम और लचीली ब्याज दर प्रणाली को अधिमानता देने के मौद्रिक नीति के उद्देश्य को रिज़र्व बैंक के मुद्रा बाजार कार्यकलापों से जो न्यायोचित रूप से खुले बाजार कार्यकलापों और चलनिधि समायोजन सुविधायुक्त है, समर्थन मिला। बैंक दर में 30 अक्तूबर 2002 को कटौती करके 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक करने से ब्याज दरों की संरचना पर संतुलित प्रभाव पड़ा। बैंक दर 29 अप्रैल 2003 को 25 आधार बिन्दुओं की और कटौती कर 6.0 प्रतिशत की गयी। इसके अतिरिक्त, अल्पावधि संकेतक देने की दृष्टि से एक दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो दरें 27 जून 2002 से 6.0 प्रतिशत से घटाकर 5.75 प्रतिशत की गयीं और 30 अक्तूबर 2002 तथा 4 मार्च 2003 से घटाकर क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की गयीं। व्यापक आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने एक दिवसीय रिपो दर 25 अगस्त 2003 से और घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दी।

जमाराशियों पर ब्याज दरें

2.8 घरेलू और सामान्य अनिवासी बचत जमाराशियां तथा अनिवासी (बाह्य) बचत खाता योजना पर ब्याज दर 1 मार्च 2003 से 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत वार्षिक की गयी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता 'ए' में जमाराशियों पर ब्याज दर भी 1 मार्च 2003 से 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दी गयी।

अनिवासी भारतीय जमा योजना

2.9 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में घोषित किये गये अनुसार यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों के लिए परिपक्वता संरचना में समानता लाने की दृष्टि से नयी अनिवासी बाह्य जमाराशियों की परिपक्वता अवधि तत्काल प्रभाव से सामान्यतः एक वर्ष से तीन वर्षों तक की होगी। यदि कोई बैंक तीन वर्षों से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ जमाराशियां स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी दीर्घावधि जमाराशियों पर ब्याज दर तीन वर्षों की अनिवासी बाह्य जमाराशियों के लिए लागू ब्याज दर से अधिक नहीं हों। ब्याज दरों में सामंजस्य लाने की दृष्टि से एक से तीन वर्षों के लिए अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दरों को 17 जुलाई 2003 से सीमित करके उन्हें तदनुरूपी परिपक्वता के अमरीकन डालर के लिए एलआइबीओआर/स्वैप दरों से अधिक 250 आधार अंक से अनधिक किया गया। उसके बाद यह सीमा 15 सितम्बर 2003 को 100 आधार अंक तक घटायी गयी और आगे 18 अक्तूबर 2003 को तदनुरूपी अमरीकी डालर एलआइबीओआर/स्वैप दरों से अधिक 25 आधार अंक तक घटायी गयी।

अग्रिमों पर ब्याज दरें

2.10 ऋणों और अग्रिमों पर मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की प्रणाली पर पूर्ववर्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया गया :

- बैंक को यह विकल्प होगा कि वे चाहें तो मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की शुरूआत 1 अप्रैल 2002 से अथवा 1 जुलाई 2002 से अथवा 1 अप्रैल 2003 से कर सकते हैं।

- 1 जुलाई 2002 की तिमाही की शुरूआत से बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू दर केवल ब्याज लगाने / मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि की प्रणाली अपनायी जाने के कारण मात्र से बढ़ नहीं जाती और उधारकर्ताओं पर भार नहीं बढ़ता।
- मासिक अंतरालों पर ब्याज सभी चल खाते (अर्थात नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात पैकिंग ऋण), सभी नये तथा वर्तमान सावधि ऋणों और दीर्घावधि/निर्धारित कालावधि के अन्य ऋणों के लिए लागू किया जायेगा, परंतु वह कृषि अग्रिमों के लिए लागू नहीं होगा ।
- बैंक प्रलेखीकरण के उद्देश्य से उधारकर्ताओं से सहमति पत्र/ अनुपूरक करार पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

उधार दरें (निर्यातेतर ऋण)

2.11 नरम और लचीली ब्याज दर प्रणाली का अभिप्राय न्यूनतर जमा दरों से होता है। बैंकिंग क्षेत्र को निधियों की लागत में गिरावट के साथ वाणिज्यिक बैंकों की मूल उधार दरों (पीएलआर) में भी गिरावट आयी। तथापि मूल उधार दरों में आयी गिरावट ने ब्याजेतर उच्च परिचालन व्यय तथा गैर-निष्पादक ऋणों की चुकौती की उच्च लागत जैसी संरचनात्मक जटिलताओं को कुछ सीमा तक निष्क्रिय कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों ने अपेक्षाकृत उच्च मीयादी दरों पर बड़े पैमाने पर अपनी जमाराशियां जुटायीं जिन्होंने मूल उधार दरों में अधोगामी गिरावट को भी सीमित कर दिया। बैंकों को अपनी उधार दरों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने उन्हें श्रम शक्ति उत्पादकता में सुधार लाने तथा स्थापना लागत में कमी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बैंकों को मूल उधार दर की स्प्रेड को भी कम करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया। फिर भी, चूंकि 19 अप्रैल 2001 से बैंकों को निर्यातकों तथा अपने मुख्य ग्राहकों को उप-मूल उधार दरों पर उधार देने की अनुमति देने के कारण ऐसी कंपनियों को बैंक उधार की लागत और भी नीचे आ गयी।

2.12 2002-03 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति में यथा प्रस्तावित सूचना की विषमताओं को कम करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक वर्तमान में उधार दर पर चुनिंदा बैंकों के साथ सलाह-मशविरा करके अपने वेबसाइट पर बैंक-वार सूचना प्रसारित करता है।

2.13 अप्रैल 2003 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से एक बेंच मार्क मुख्य उधार दर (पीएलआर) घोषित करें जिसमें इन बातों को ध्यान में रखा जाए : i) निधियों की वास्तविक लागत, ii) परिचालन व्यय और iii) प्रावधानीकरण तथा पूंजी प्रभार और लाभ मार्जिन की विनियामक आवश्यकताओं को रक्षा प्रदान करने के लिए एक न्यूनतम मार्जिन। यह भी बताया गया था कि बैंकों की बेंच मार्क निश्चित करने की पद्धति और बेंच मार्क पीएलआर के आसपास वर्तमान व्याप्ति (स्प्रेड) की सितंबर 2003 में समीक्षा की जायेगी। तदनुसार, बेंच मार्क पीएलआर की पद्धति के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर चुनिंदा बैंकों और भारतीय बैंक संघ के साथ चर्चा की गयी भारतीय बैंक संघ ने निम्नलिखित सुझाव दिये: (i) कार्यकारी पूंजी और मीयादी ऋणों के लिए अलग-अलग पीएलआर की अनुमति दी जाए, (ii) बहु पीएलआर की प्रथा जारी रखना (iii) भिन्न-भिन्न समय की मीयाद के प्रीमियम और बाजार बेंच मार्क पर आधारित निश्चित और चल दर देने का लचीलापन (iv) उपभोक्ता ऋणों के मूल्य निर्धारण में लचीलापन तथा (v) विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए लेनदेन लागतों का निर्धारण ।

2.14 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि कार्यकारी पूंजी और मीयादी ऋणों की ऋण दरें मीयाद प्रीमियम और/या जोखिम प्रीमियम को हिसाब में लेते हुए बेंच मार्क पीएलआर के संदर्भ में निश्चित की जा सकती हैं, अत: बहु-पीएलआर की जरूरत अनिवार्य नहीं रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि बैंकों को अपने ऋण उत्पाद का भिन्न-भिन्न समय की मीयाद प्रीमियम और संबंधित लेनदेन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण करने की छूट है। बैंक चल दर उत्पाद का मूल्य एक पारदर्शी प्रकार से बाजार बेंचमार्क का प्रयोग करते हुए निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि भारतीय बैंक संघ ने बेंचमार्क पीएलआर के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति दर्शायी है, अत: भारतीय बैंक संघ अपने सदस्यों को परिचालनगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथोचित सूचना देगा।

निर्यात ऋण पर ब्याज दर

2.15 वर्ष 2002-03 की मौद्रिक और ऋण नीति यह दर्शाती है कि निर्यात ऋण पर देशी ब्याज दरों को वर्तमान परिस्थितियों में मूल उधार दर के साथ सम्बद्ध करना अनावश्यक हो गया है क्योंकि रुपये के संदर्भ में निर्यात ऋण पर प्रभावी ब्याज दर मूल उधार दर से काफी कम है। अतः बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और निर्यात को मिलनेवाले ऋण के आगम में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 1 मई 2003 से 180 दिन से अधिक के पोतलदानपूर्व ऋण और 90 दिन से अधिक के पोतलदानोत्तर ऋण के लिए स्थानीय मुद्रा निर्यात ऋण की ब्याज दरों को उदार बनाया है।

पुनर्वित्त

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा

2.16 अनुसूचित वाणिज्य बैंक 1 अप्रैल 2002 से दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15.0 प्रतिशत की सीमा तक निर्यात ऋण पुनर्वित्त पा रहे हैं।

2.17 1 मई 2003 से 90 दिन से अधिक और 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के अविनियमन के बाद निर्यात समुदाय से प्राप्त सुझावों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 90 दिन से अधिक और 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के अंतर्गत बकाया पात्र निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त सुविधा जारी रहेगी।

जमानती उधार सुविधा - समाप्त

2.18 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनकी अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी आवश्यकता से अतिरिक्त भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों/खज़ाना बिलों की धारिता की जमानत के आधार पर जमानती उधार सुविधा के अंतर्गत चलनिधि सहायता दी जा रही थी। जमानती उधार सुविधा के अंतर्गत हरेक बैंक को उपलब्ध चलनिधि सहायता की मात्रा का निर्धारण 1997-98 में उनकी पाक्षिक औसत बकाया सकल जमा के 0.25 प्रतिशत था। तथापि, 29 जुलाई 2000 और 12 अगस्त 2000 को जमानती उधार सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्तपोषण में दो चरणों में प्रति चरण 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की कटौती के बाद यह सीमा घटाकर हरेक बैंक की 1997-98 की सकल जमा के 0.125 प्रतिशत कर दी गयी। दिन-प्रति-दिन आधार पर प्रणालीबद्ध चलनिधि की घट-बढ़ के लिए प्राथमिक लिखत के रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा का प्रयोग किये जाने के साथ जमानती उधार सुविधा को 5 अक्तूबर 2002 से पूर्णतः समाप्त करने से पहले उसमें 27 जुलाई 2002 से 50 प्रतिशत की और कटौती की गयी।

सांविधिक पूर्व-क्रय

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

2.19 मौद्रिक नीतिगत ढांचे और प्रचलित क्रियाविधियों में सुस्पष्ट अंतर आया है और वे मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधन के बजाय बाजार-आधारित अप्रत्यक्ष साधन बने हुए हैं। प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के युक्तिकरण और उसे बनाये रखने से मौद्रिक साधन के रूप में उसे प्रतिधारित करते हुए भी प्रारक्षित आवश्यकताओं पर निर्भरता में कमी आयी है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 1 जुलाई 1989 और 8 अक्तूबर 1992 के बीच निवल मांग और मीयादी देयताओं के 15.0 प्रतिशत था जिसे चरणबद्ध रूप में कम करते हुए 14 जून 2003 को 4.5 प्रतिशत पर लाया गया। जहां पिछले कुछ वर्षों से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में इस उद्देश्य के साथ निरंतर कटौती की जा रही है कि उसे कम करके 3.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, वहीं रिज़र्व बैंक इस साधन का प्रयोग चलनिधि संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि प्रबंध, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और अन्य स्थूल आर्थिक गतिविधियों के लिए करना जारी रख सकता है। उदाहरण के लिए 1997 में पूर्व एशियाई आर्थिक संकट के संसर्ग से पैदा होनेवाले दबावों का सामना करने के लिए अस्थायी तौर पर प्रारक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि की गयी थी। तथापि, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को उसके सांविधिक न्यूनतम स्तर पर लाने के मध्यावधि उद्देश्य के एक भाग के रूप में और वास्तविक गतिविधि को समर्थन देने के लिए बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों को भी बढ़ाने के लिए जून 2003 से 25 आधार अंकों की कटौती के साथ पिछले तीन वर्षों में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में अधिकतम 400 आधार अंकों की कटौती की गयी है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

2.20 जहां 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी आवश्यकताओं में सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहीं 2002-03 में नीतिगत परिवर्तनों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात आस्तियों की संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण आधार पर प्रभाव पड़ा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों के साथ मांग मुद्रा या सावधि जमा में रखी शेष राशि को पहले 'नकदी' के रूप में माना जाता था और इसलिए उसे सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के पक्ष में जोड़ा जाता था। विवेकपूर्ण उपाय के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अप्रैल 2002 में सूचित किया गया था कि वे अपने समग्र सांविधिक चलनिधि अनुपात की धारिता सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखें। विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2003 तक सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करें । कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात का न्यूनतम स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है। तथापि, कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके प्रायोजक बैंकों ने सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन से रखी जमा का समयपूर्व आहरण करने में कठिनाई व्यक्त की है और उन्हें ऐसी जमा को परिपक्वता तक धारित रखने की अनुमति दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे सरकारी प्रतिभूतियों में 25 प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के लक्ष्य को प्राप्त करें और प्रायोजक बैंक के पास रखी अपनी जमा की अवधि पूर्ण होने पर उन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए गणना में लिये जाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करें।

वर्ष 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा

2.21 3 नवंबर 2003 को वर्ष 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में घोषित मध्यावधि समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल में हुई मौद्रिक और व्यापक गतिविधियों की समीक्षा की गयी है। वर्ष 2003-04 के दौरान सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर उच्चतर (ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के साथ 6.5-7.0 प्रतिशत पर रही), घटती मुद्रस्फीति की संभावना (अधोमुखी प्रवृत्ति के साथ 4.0-4.5 प्रतिशत) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अप्रैल 2003 में घोषित मौद्रिक नीति का स्वरूप यथावत रखा गया। मौद्रिक नीति के समग्र स्वरूप में मूल्य स्तर पर सतर्क और ह्रासमान एवं लचीली ब्याज दर के परिवेश को तरजीह देते हुए ऋण वृद्धि और निवेश मांग के समर्थन की पूर्ति के लिए पर्याप्त चलनिधि की व्यवस्था करते रहना जारी रहेगा। तदनुसार मध्यावधि समीक्षा में कार्यान्वयन पर जोर देने, आम व्यक्तियों द्वारा किये जानेवाले लेनदेनों को सहज बनाने, तथा मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में स्थिरता के अनुसार वृद्धि को समर्थन देने की संस्थागत क्षमता पर निरंतर बल देने संबंधी पहले ही किये गये उपायों को जारी रखने पर जोर दिया गया है (बाक्स II.1)।

3. पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी नीति[1]

पर्यवेक्षण

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

2.22 भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियमावली के अंतर्गत नवंबर 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना की गयी और उसे वाणिज्य बैंकों, चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया। जुलाई 2002 से जून 2003 तक की अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की 31 मार्च, 30 सितंबर और 31 दिसंबर 2002 की स्थिति के संदर्भ में समीक्षा की।

2.23 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंतर-शाखा खाते, अंतर-बैंक खाते (नोस्ट्रो खातों सहित) और लेखा बहियों के संतुलन में प्रविष्टियों के समाधान सहित बैंक धोखाधड़ियों और हाउस-कीपिंग के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी निगरानी की समीक्षा की। चूंकि यह अनुभव किया जाता है कि बैंक धोखाधड़ियों के पीछे मुख्य कारण निर्धारित नियमों और क्रियाविधियों का अनुपालन होता है, अतः बैंक धोखाधड़ियों के कानूनी पहलू के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डा.एन.एल.मित्र) की रिपोर्ट के आधार पर सभी बैंकों को सूचित किया गया वे यह सुनिश्चित करें कि शाखाओं के हरेक डेस्क पर निर्धारित प्रणालियों और क्रियाविधियों के कार्यान्वयन में कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। इसी तरह से, अंतर-शाखा और अंतर-बैंक तथा साथ ही लेखा बहियों के संतुलन में प्रविष्टियों के समाधान के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर की जानेवाली निगरानी और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सतत की जानेवाली समीक्षा द्वारा काफी सुधार आया है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने रिज़र्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आनेवाली चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी की भी समीक्षा की है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने संस्था-विशेष की पर्यवेक्षी चिंताओं के संदर्भ में की जानेवाली कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करने के अलावा कई विनियामक और पर्यवेक्षी नीति संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण की स्थिति की समीक्षा की है। वर्तमान स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की कमजोर स्वाभाविक वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की लाइसेंसीकरण नीति में संशोधन किया गया।

2.24 वित्तीय संस्थाओं के लिए 2002-03 के निरीक्षण से पर्यवेक्षी रेटिंग माडल अनुमोदित और लागू किया गया। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा 20 करोड़ रुपए और अधिक की सार्वजनिक जमावाली कमजोर/समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों संबंधी रिपोर्ट की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। तथापि, मझौले आकार की कंपनियों तथा साथ ही 10 करोड़ रुपए और अधिक की सार्वजनिक जमावाली कमजोर और समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए उन्हें वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की तिमाही समीक्षा के दायरे में लाया गया है।

वार्षिक वित्तीय निरीक्षण

2.25 वर्ष 2002-03 के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत 92 बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के 26 बैंक, निजी क्षेत्र के 30 बैंक और 36 विदेशी बैंक), भारतीय स्टेट बैंक के 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय और स्थानीय क्षेत्र के 4 बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पूर्ण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एन के अंतर्गत नौ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। ऐसे 4 विदेशी बैंक जो भारत में अपना कारोबार बंद कर रहे हैं उनका निरीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 के अंतर्गत किया गया।

[1] इस अध्याय में जिन नीतिगत उपायों पर चर्चा की गयी है वे राजकोषीय वर्ष 2002-03 (अप्रैल-मार्च) और 2003-04 (अब तक) से संबंधित हैं। जिन पर्यवेक्षी विवरणों पर चर्चा की गयी हैं वे जुलाई -2002 जून 2003 की अवधि से संबंधित हैं क्योंकि रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जुलाई-जून होती है।

बाक्स II.1 वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में घोषित नीति संबंधी प्रमुख उपाय

1. मौद्रिक उपाय : 29 अप्रैल 2003 से प्रचलित बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। वर्तमान चलनिधि स्थिति को देखते हुए 14 जून 2003 से प्रभावी पखवाड़े से विद्यमान नकदी प्रारक्षित अनुपात को 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।

2. ब्याज दर नीति : यह स्पष्ट किया गया कि चूँकि कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण के लिए ऋण दरें बेंचमार्क मूल ऋण दर के संदर्भ में मीयादी प्रीमियम और/अथवा जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती है, इसलिए अनेक मूल ऋण दरों के निर्धारण की आवश्यकता बाध्यकारी नहीं है। बैंकों को अलग-अलग मीयाद के लिए प्रीमियम और प्रासंगिक लेनदेन लागतों के आधार पर अपने ऋण उत्पादों का मूल्य तय करने की स्वतंत्रता दी गयी। बैंकों को पारदर्शी ढंग से बाजार ऋण बेंचमार्क का प्रयोग करके ऋण उत्पादों का मूल्य तय करने की आजादी दी गयी। भारतीय बैंक संघ अपने सदस्यों को उपयुक्त बेंचमार्क मूल उधार दर की सूचना देगा।

3. ऋण सुपुर्दगी तंत्र

- *लघु उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएं* : लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि बैंक लघु उद्योग इकाइयों के पिछले अच्छे रिकार्ड तथा उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए (अपने बोर्डों के अनुमोदन से) लघु उद्योगों के लिए ऋण की सीमा, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की अपेक्षाओं के बिना, 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर सकते हैं। यह भी प्रस्ताव किया गया कि (i) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के लिए विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी के पास रखी गयी जमाराशियों पर बैंक दर के बराबर ब्याज दर देय होगी। (ii) सिडबी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की निधियों का उपयोग तत्परतापूर्वक किया जाए और ब्याज में कमी करने का लाभ उधारकर्ताओं को मिले। अंत में यह प्रस्ताव किया गया कि बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिये गये सभी नये ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये ऋण के रूप में शामिल किया जाए।
- *व्यष्टि (माइक्रो) वित्त* : माइक्रो वित्त-प्रवाह से संबंधित मामलों की जांच के लिए चार अनौपचारिक दलों की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव किया गया कि स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करने के लिए बैंक अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दें और उनके साथ संबंध कायम करें। स्वयं सहायता समूह के माइक्रो वित्त प्रदान करने से संबंधित दृष्टिकोण पूरी तरह से मुक्त हो और उसमें उपभोग संबंधी व्यय भी शामिल किये जा सकते हैं, जिससे उपभोग को सहज बनाया जा सके, जैसा कि आय-प्रवाह के समय प्रोफाइल के बारे में आवश्यक हो।

4. मुद्रा बाज़ार

- *विशुद्ध अंतर-बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना* : बाजार संबंधी आगे की गतिविधियों के संबंध में और साथ ही विशुद्ध अंतर-बैंक मांग / सूचना मुद्रा बाजार की ओर बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्ताव किया गया कि 27 दिसंबर 2003 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से गैर-बैंकिंग सहभागियों को किसी भी रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसतन 2000-01 के दौरान मांग /सूचना मुद्रा बाज़ार में उनके औसत दैनिक ऋण के 60 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति होगी, जो अप्रैल 2003 में घोषित 75 प्रतिशत से कम है।
- *स्थायी सुविधाओं को औचित्यपूर्ण बनाना* : क्षेत्र विशेष के लिए स्थायी सुविधाओं को क्रमिक रूप से समाप्त करने की ओर बढ़ने की दृष्टि से और साथ ही चलनिधि के प्रणाली में आने की दरों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि 'सामान्य' और 'बैकस्टॉप' स्थायी सुविधाएं 27 दिसंबर 2003 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से एक तिहाई और दो तिहाई (33:67) के अनुपात में उपलब्ध होंगी जबकि प्रचलित अनुपात 50:50 का है।
- *मांग /सूचना मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की पहुंच* : रिपो बाजार को और अधिक विकसित करने तथा साथ ही मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव किया गया कि 7 फरवरी 2004 से किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े में प्राथमिक व्यापारियों को औसत के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 200 प्रतिशत तक के उधार लेने की अनुमति दी जाएगी ।

5. विदेशी मुद्रा बाजार

(क) कंपनियों के असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम : यह निर्णय लिया गया कि निर्यातों के वित्तपोषण तथा विदेशी मुद्रा व्यय को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले ऋण को छोड़कर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 10 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के सभी विदेशी मुद्रा ऋणों को बोर्ड की सुविचारित नीति के आधार पर ही दिया जाये, जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

(ख) निर्यात संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई : 1 जनवरी 2004 से, सभी निर्यातक किसी कैलेंडर वर्ष में निर्यात से प्राप्य राशियों के 10 प्रतिशत तक निर्यात से मिलने वाली अपनी बकाया राशियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं और वसूली के लिए 180 दिन की सामान्य अवधि को भी बढ़ा सकते हैं।

(ग) म्युचुअल फंड के यूनिट जारी करना - सामान्य अनुमति : भारतीय आस्ति प्रबंधक कंपनियां जो अपतटीय निधियाँ प्रवर्तित करती हैं, को एक ही स्थान पर क्लीयरेंस देने के लिए, सेबी से परामर्श करके प्रस्ताव किया गया कि ऑफशोर निधियां प्रारंभ करने के लिए सेबी का एक बार अनुमोदन मिल जाने पर आस्ति प्रबंधन कंपनियों को यूनिट जारी करने, लाभांश प्रेषित करने और जारी किये गये यूनिटों के विमोचन के लिए सामान्य अनुमति रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की शर्त पर दी जाये ।

6. विवेकपूर्ण उपाय

(क) वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड : अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों में समरूपता लाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया कि वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण अनर्जकता के निर्धारण हेतु 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष से 90 दिवस का मानदण्ड अपनाया जाए ।

(ख) सर्वांग रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एसआइएफआइ) की निगरानी : सेबी के अध्यक्ष तथा इरडा के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया कि सर्वांग रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एसआइएफआइ) के संबंध में एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : (i) भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और इरडा की समान रुचि के वित्तीय मामलों के संबंध में एसआइएफआइ के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली ; (ii) एसआइएफआइ के आन्तर-समूह लेनदेन की रिपोर्टिंग, और (iii) भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और इरडा के बीच प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान ।

(ग) कंपनी संचालन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) : यह प्रस्ताव किया गया कि बैंकों द्वारा कंपनी संचालन के संबंध में गांगुली समिति और सेबी समिति द्वारा सुझाये गये दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित किया जाए और इसे प्राथमिक व्यापारियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर लागू किया जाए ।

धोखाधड़िया

2.26 वर्ष 2002-03 के दौरान हुई धोखाधड़ियों की उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नानुसार थीं :

- जुलाई-दिसंबर 2002 के दौरान वाणिज्य बैंकों ने धोखाधड़ियों के 1,597 मामलों की सूचना दी जिसमें निहित राशि 267 करोड़ रुपये थी; जुलाई-जून 2001-02 के दौरान वाणिज्य बैंकों ने धोखाधड़ियों के 2,253 मामलों की सूचना दी जिसमें निहित राशि 414 करोड़ रुपये थी।
- जुलाई-मार्च 2002-03 के दौरान अपने उधार खातों में गंभीर अनियमितता दर्शानेवाली फर्मों/कंपनियों के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 69 सतर्कता सूचनाएं जारी की गयी; जुलाई-जून 2001-02 के दौरान वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कतिपय बेईमानी स्वरूप के धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के संबंध में चेतावनी देनेवाली 81 सतर्कता सूचनाएं जारी की गयी थीं।
- जुलाई-दिसंबर 2002 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लूटमार/डकैतियों के 40 मामलों की सूचना दी गयी जिनमें निहित राशि थी 280 करोड़ रुपये; जुलाई-जून 2001-02 के दौरान लूटमार/डकैतियों के 118 मामलों की सूचना दी गयी जिनमें निहित राशि थी 596 करोड़ रुपये।

धोखाधड़ी संबंधी सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

2.27 रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी निगरानी और सूचना प्रणाली संबंधी मापदण्ड विकसित करके बैंकों को उसके बारे में सूचित किया है। जून 2003 को समाप्त तिमाही से बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे इस मापदण्ड के माध्यम से धोखाधड़ियों की संख्या और सतर्कता विवरणियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित समितियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के समेकित लेखा और पर्यवेक्षण के संबंध में दिशानिर्देश

2.28 बैंक समूहों के समेकित पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षकों को अधिकार देने पर अधिक ध्यान दिये जाने और प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत द्वारा इसी आवश्यकता को अलग सिद्धांत के रूप में रेखांकित किये जाने से रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2000 में बहु अनुशासनात्मक कार्यकारी दल (अध्यक्ष: श्री विपिन मलिक) की स्थापना की। कार्यकारी दल ने समेकित पर्यवेक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए समेकित लेखा और अन्य मात्रात्मक पद्धतियां लागू करने की व्यवहार्यता की जांच की । इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को 25 फरवरी 2003 को और वित्तीय संस्थाओं को 1 अगस्त 2003 को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2.29 प्रारंभ में ऐसे सभी समूहों के लिए समेकित पर्यवेक्षण अनिवार्य किया गया है जहां नियंत्रक संस्था कोई बैंक हैं। रिज़र्व बैंक के समेकित पर्यवेक्षण के दायरे में आनेवाले सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 1 अप्रैल 2002 से शुरू होनेवाले वित्तीय वर्ष से अपने एकल वित्तीय विवरणों के अलावा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करें और उन्हें प्रकट करें। समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक 21 (समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित) अन्य संबंधित लेखा मानक जैसे लेखा मानक 23 (समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगी संस्था में निवेश से संबंधित) और 27 (संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्ट देना) के अनुसार तैयार करना होता है। इसके अलावा, इस समय बैंकों के लिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। प्रारंभ में, बैंकों के लिए वर्तमान स्थानेतर विवरणियों के अनुसार अप्रत्यक्ष सूचना प्रणाली के भाग के रूप में 31 मार्च 2003 से छमाही आधार पर ये रिपोर्ट मँगानी शुरू की गयी हैं। बैंकों से अपेक्षित है कि वे लेखा मानक 21,23 और 27 में यथा निर्धारित सिद्धांतों को अपनाते हुए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट तैयार करें। तथापि, यथा समय संमिश्र समूह को शामिल करने की संभावना को देखते हुए प्रारंभ में समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट में ऐसी संबंधित संस्थाओं की सूचना और लेखे सम्मिलित किये जायेंगे जो बैंकिंग या वित्तीय स्वरूप की गतिविधियों में लगी रहती हैं और इसमें ऐसी संस्थाओं की सूचना शामिल करने की आवश्यकता नहीं है जो बीमा या वित्तीय सेवाओं के कारोबार में लगी हैं।

2.30 समूह-वार आधार पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के उद्देश्य से जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी, एकल /समूह उधारकर्ता जोखिम सीमा, चलनिधि अनुपात, चलनिधि अनुपात/बास्ले सीमा और पूंजी बाजार जोखिम सीमा जैसे विवेकपूर्ण मानदंड/सीमाएं समेकित बैंक द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए निर्धारित की गयी हैं।

सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने से संबंधित कार्यकारी दल

2.31 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सात अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में लेखा-परीक्षा फर्मों को सूचीबद्ध करने के लिए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन सुझाने के लिए गठित कार्यकारी दल ने 12 मार्च 2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वित्तीय पर्यवेक्षण

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा 25 अप्रैल 2003 को आयोजित अपनी बैठक में दल द्वारा की गयी सिफारिशों को कतिपय संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया है। संशोधित मानदंड और अन्य सिफारिशों का वर्ष 2004-05 से कार्यान्वयन किया जायेगा। पात्र लेखा-परीक्षा फर्मों संबंधी कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- फर्म में रहनेवाले पूर्णकालिक न्यूनतम सात सनदी लेखाकारों (छः की तुलना में) में से पांच पूर्णकालिक सहभागी होने चाहिए, उनमें से हरेक का फर्म के साथ क्रमशः 15,10,5,5 और 1 वर्ष का न्यूनतम सहयोग होना चाहिए;
- व्यावसायिक स्टाफ की संख्या 18 (वर्तमान मानदंडों में 15 की तुलना में);
- 15 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (वर्तमान मानदंडों में 10 की तुलना में);
- 15 वर्ष का न्यूनतम सांविधिक बैंक/शाखा लेखा-परीक्षा का अनुभव (वर्तमान मानदंडों में 8 वर्ष की तुलना में); और
- कम से कम एक सहभागी या वेतनभोगी सनदी लेखाकार सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा प्रमाणित/आइएसए या अन्य किसी समकक्ष अर्हता प्राप्त हों।

कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा के लिए जांच सूची

2.32 बैंकों में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों पर आधारित था। इस संदर्भ में बैंकों से प्राप्त निम्नलिखित विशेष प्रतिसूचना अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्य के स्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग लेखा-परीक्षा प्रणाली, इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग लेखा परीक्षा पद्धति तथा अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखा गया है। मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा अभी भी आरंभिक स्थिति में है और बैंकों द्वारा मुख्य रूप से जिस कठिनाई का सामना किया जा रहा है वह है- इस कार्य के लिए आवश्यक कुशल तकनीकी कार्मिकों की कमी। मूल्यांकन के निष्कर्षों पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उप-समिति द्वारा विचार किया गया और उसने व्यापक रूप में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा से संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए समिति के गठन के लिए निदेश दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि मानकीकृत रूप में जांच सूची बनायी जाए ताकि देश में कार्यरत सभी बैंक यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी कम्प्यूटरीकृत शाखाएं कम्प्यूटरीकृत परिवेश में आवश्यक नियंत्रण प्रणाली लागू करें और यह कि शाखा लेखा-परीक्षक उसका सत्यापन करें और रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी लिखें। तदनुसार, एक समिति का गठन किया गया जिसमें रिज़र्व बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और कुछ चुनिंदा बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति ने सिफारिश की कि आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा जांच सूची का स्वतंत्र मंच आवश्यक है, जबकि आवश्यक मोर्चों पर निर्भर नियंत्रणात्मक प्रश्नावली बैंकों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। समिति ने जोखिम क्षेत्रों को 15 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और उनमें से हरेक क्षेत्र[2] के बारे में जांच सूची तैयार की है। ऐसी अपेक्षा है कि ऐसी जांच सूची से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा करने में न्यूनतम मानक का पालन किया जायेगा।

2.33 कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा करने के लिए जांच सूची तैयार करने का मुख्य उद्देश्य था बैंकों को कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर पर बढ़ती निर्भरता तथा कारोबार करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण उभरती चिंताओं के बारे में सुग्राही बनाना। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उप-समिति द्वारा यथा-अनुमोदित जांच सूची बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिसंबर 2002 में भेजी गयी है।

पर्यवेक्षी नीतिगत गतिविधियां

तिमाही समीक्षा

2.34 इस समय, सूचीबद्ध कंपनियों के केवल छमाही परिणाम लेखा-परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन होते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जनवरी 2003 में सूचीकरण करार के खंड 41 (सूचीबद्ध कंपनियों की सीमित छमाही समीक्षा से संबंधित) में आशोधन करके सभी सूचीबद्ध कंपनियों (वाणिज्य बैंकों सहित) के लिए यह अनिवार्य बना दिया कि वे कंपनी के लेखा-परीक्षकों (या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सनदी लेखाकार द्वारा) द्वारा अपने तिमाही परिणामों की 'सीमित समीक्षा' करा लें और समीक्षा रिपोर्ट की प्रति शेयर बाजार को प्रस्तुत करें। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उप-समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध

[2] श्रेणियां निम्नानुसार हैं : 1. कारोबारी नीति; 2. दीर्घावधि सूचना प्रणाली नीति; 3. अल्पावधि सूचना प्रणाली नीति; 4. सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति; 5. सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन; 6. सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा दिशा-निर्देश; 7. पैकेज सॉफ्टवेयर का अभिग्रहण और कार्यान्वयन; 8. सॉफ्टवेयर का विकास - आंतरिक और बाह्य स्रोत से; 9. प्रत्यक्ष अभिगम नियंत्रण; 10. परिचालनात्मक प्रणाली के लिए जांच सूची; 11. अनुप्रयोग प्रणाली संबंधी नियंत्रणों के लिए सामान्य जांच सूची; 12. डाटाबेस नियंत्रण; 13. नेटवर्क प्रबंध के लिए जांच सूची; 14. रखरखाव से संबंधित ; एवं 15. इंटरनेट बैंकिंग।

बैंकों द्वारा भी छमाही सीमित समीक्षा की तरह 30 जून 2003 को समाप्त हुई तिमाही से तिमाही समीक्षा करा लेनी चाहिए।

शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई

2.35 विद्यमान पर्यवेक्षी ढांचे में अभिवृद्धि करने के सतत प्रयासों के एक भाग के रूप में पूर्व निर्धारित नियमबद्ध संरचनागत पूर्व हस्तक्षेप पर आधारित शीघ्र-सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की एक प्रणाली दिसंबर 2002 से लागू कर दी गयी है। रिज़र्व बैंक तीन मानदंड रूपी संकेतक बिन्दुओं अर्थात (क) सीआरएआर, (ख) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात, और (ग) आस्तियों पर प्रतिलाभ पर खराब स्थितिवाले बैंकों के संबंध में कुछ रचनाबद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रारंभ में दिसंबर 2002 से एक वर्ष के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई योजना कार्यान्वित की जाए। बैंकों के बीच उक्त योजना 21 दिसंबर 2002 को यह सूचित करते हुए परिचालित की गयी कि वे शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के प्रावधानों के अधीन न आने को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें। बैंकों को उक्त योजना अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखने के लिए भी सूचित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पहले ही शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई योजना के संकेतक बिंदुओं का उल्लंघन करनेवाले बैंकों को उनके द्वारा अलग से किये जाने के लिए विशिष्ट कार्रवाई के संबंध में सूचित किया जाएगा। ऐसे बैंकों को निकटवर्ती कार्रवाई के बारे में भी सतर्क किया गया। इस योजना की समीक्षा दिसंबर 2003 में किये जाने की परिकल्पना की गयी है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

2.36 2001-02 में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के आवश्यक पहलू स्थापित कर लेने के बाद 2002-03 के दौरान जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का रवैय्या अपना लिया गया है। बैंकों के संबंध में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में सुचारु रूप से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखकर नई जोखिम आधारित पर्यवेक्षण नियम पुस्तक (मैन्युअल) बनायी गयी। बैंकों के जोखिम संविभागों की जानकारी एकत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी स्टाफ के प्रयोग के लिए एक विस्तृत जोखिम संविभाग टैम्प्लेट तैयार किया गया था। बैंकों के प्रयोग के लिए इसी प्रकार के टैम्प्लैट बनाये गये और उनके द्वारा उठाये जानेवाले जोखिम का स्व-मूल्यांकन करने के लिए ये उन्हें भेज दिये गये। बैंक व्यवसायियों के बीच अधिकाधिक जागरूकता लाने की दृष्टि से जून 2002 से रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में निरंतर आधार पर जोखिम प्रबंधन और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

2.37 बैंक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण से परिचित हो जाएं, इसलिए अगस्त 2001 में एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस पत्र में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्रवाई के लिए पांच क्षेत्रों का पता लगाया गया अर्थात (क) उचित जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू करना, (ख) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य स्थापित करना, (ग) प्रबंध सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को अद्यतन बनाना, (घ) मानव संसाधन पहल के कार्य हाथ में लेना और (ङ) जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण अपनाने के लिए आवश्यक अनुपालन यूनिट स्थापित करना। परामर्शी प्रक्रिया के भाग के रूप में संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान बैंकों को जिन विषयों पर रिज़र्व बैंक से और मार्गदर्शन/सहायता अपेक्षित है उनका पता लगाने के लिए उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित करके ऋण जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन और जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा के संबंध में बैंकों को मार्गदर्शन पर नोट जारी किये गये। बैंकों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए तैयारी, जिसकी रिज़र्व बैंक उनके द्वारा प्राप्त होनेवाली आवधिक विवरणियों के जरिये तथा उनके साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित कर समीक्षा कर रहा है, में होनेवाली प्रगति पर निगरानी रखने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिए सूचित किया गया।

2.38 आठ बैंकों जिसमें सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व है, को प्रायोगिक आधार पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। चुनिंदा बैंकों के जोखिम संविभाग एकत्रित करने का कार्य रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू हो चुका है। इन बैंकों के अपने जोखिम संविभाग के आधार पर चुने गये हर बैंक के लिए व्यावहारिक (कस्टमाइज) पर्यवेक्षी कार्यक्रम तथा बैंक स्तरीय कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। उक्त व्यावहारिक कार्यक्रम में उस बैंक के लिए निर्दिष्ट पर्यवेक्षण चक्र, लागू की जानेवाली पर्यवेक्षण की सघनता और जोखिम संविभाग में निर्देशित चिंताओं का हल करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के प्रत्यक्ष (ऑनसाइट) निरीक्षण सहित मिले- जुले पर्यवेक्षी साधन शामिल हैं।

2.39 इन चुनिंदा बैंकों के लिए पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति-गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली (सीएएमईएलएस) तथा विदेशी बैंकों के लिए पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति-गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन और प्रणाली पर आधारित माडल के आधार पर बनी मौजूदा निरीक्षण

प्रणाली के तहत वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पूरा हो जाने के बाद उनके संबंध में उक्त प्रौद्योगिक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) हाथ में लिया जायेगा। आरबीएस के अधीन प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) निरीक्षण का लक्ष्य ऐसे चिंता के क्षेत्र होंगे जिन पर जोखिम संविभाग में व्यक्त के किये गये अनुसार स्थान पर जाकर परीक्षण की जरूरत है। प्रायोगिक कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर आरबीएस का दृष्टिकोण और प्रभावी बना दिया जायेगा और इसको यथासमय सभी बैंकों पर लागू किये जाने की संभावना है।

अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) निगरानी और चौकसी प्रणाली में बदलाव

2.40 1995 में अप्रत्यक्ष (ऑफ-साइट) निगरानी और चौकसी प्रणाली (ओएसएमओएस) लागू किये जाने के बाद अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) विवरणियों की व्याप्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। समेकित पर्यवेक्षण, देश के जोखिम प्रबंधन और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में हाल में की गयी पहल के मद्देनजर अप्रत्यक्ष (ऑफ-साइट) विवरणियों के जरिये कुछ अतिरिक्त डाटा संग्रहित करना जरूरी है। तदनुसार, जून 2003 में समाप्त होनेवाली तिमाही से नयी विवरणियां तथा बढ़ी हुई व्याप्ति के साथ वर्तमान विवरणियां शामिल करते हुए एक उन्नत ओएसएमओएस प्रणाली कार्यान्वित की गयी है।

बैंकों की पर्यवेक्षी रेटिंग

2.41 धोखाधड़ी की निगरानी और रोकथाम के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बैंकों की रेटिंग करते समय इस क्षेत्र के अनुपालन को अधिक महत्त्व (भार) दिया जाना चाहिए। तदनुसार, सीएएमइएलएस/सीएएलसीएस माडलों जिनमें धोखाधड़ी की निगरानी और रोकथाम को अधिक महत्त्व (भार) के अंतर्गत बैंकों की रेटिंग की प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

2.42 दिसंबर 2002 में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा के संबंध में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये जिसमें उन्हें अपनी चालू आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, कारोबारी आवश्यकताओं और श्रमशक्ति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली में चरणबद्ध रूप से संक्रामित होने के लिए तैयार रहने के लिए सूचित किया गया था।

विवेकपूर्ण मानदंड

(क) निवेश/ऋण मानदंड

व्युत्पन्नी उत्पादों पर ऋण जोखिम का मापन

2.43 व्युत्पन्नी उत्पादों पर ऋण जोखिम सीमा बैंकों के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ है। 31 मार्च 2003 के पहले के अनुदेशों के अनुसार गैर-निधिक ऋण सीमाओं के रूप में एक्सपोजर ऐसी सीमाओं के 50 प्रतिशत या बकाया राशियों जो भी अधिक हो, तक थे। इसके अलावा, जोखिम की गणना के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों पर बैंकों के जोखिम यथा वायदा दर संविदाएं और ब्याज दर स्वैप (अदलाबदली) को मूल जोखिम (एक्सपोजर) पद्धति के अनुसार सांकेतिक मूल धन पर कन्वर्जन फैक्टर लागू करते हुए लिया गया। बैंकों को 1 अप्रैल 2003 से गैर-निधिक आधारित सीमाओं का 100 प्रतिशत पर हिसाब लगाने के अलावा वैयक्तिक सामूहिक ऋणकर्ता जोखिम का निर्धारण करने में विदेशी मुद्रा और अन्य व्युत्पन्नी उत्पादों की पुनर्स्थापन दर पर वायदा संविदाओं को शामिल करने के लिए सूचित किया गया था। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति का पूंजी मापन और पूंजी मानकों के अंतर्राष्ट्रीय समरूपता पर पेपर 1988 के अनुसार व्युत्पन्नी उत्पादों में ऋण जोखिम के कारण एक्सपोजर का मापन करने की दो विधियां हैं, अर्थात (i) मूल एक्सपोजर पद्धति और (ii) वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति (बाक्स II.2)। बैंकों और वित्तीय संस्थाएं यदि चालू जोखिम सीमा पद्धति अपनाने की स्थिति में न हों तो वे मूल एक्सपोजर पद्धति अपना सकते है। तथापि बैंकों को थोड़े समय में चालू जोखिम सीमा पद्धति अपनाये जाने की दिशा में प्रयासरत रहने के लिए सूचित किया गया। बैंकों को 1 अप्रैल 2003 से निरंतर रूप से वैयक्तिक/सामूहिक ऋणकर्ता जोखिम के निर्धारण में सभी व्युत्पन्नी उत्पादों के लिए इन दो पद्धतियों में से एक को अपनाने के लिए सूचित किया गया। बैंकों से एक मुद्रा चल दर/चल ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) के लिए संभाव्य ऋण जोखिम की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। एकल मुद्रा सचल दर/सचल ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) संबंधी ऋण जोखिम का मूल्यन केवल उनके बाजार मूल्य (मार्क टू मार्केट) के आधार पर ही किया जाना है।

मूलभूत सुविधाओं के वित्तपोषण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

2.44 मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अत्यधिक महत्व को तथा विभिन्न मूलभूत सेवाओं के विकास के लिए दी जानेवाली उच्च प्राथमिकता को देखते हुए बैंकों द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र के वित्तपोषण की

बाक्स II.2 : व्युत्पन्नी उत्पाद के ऋण जोखिम सीमा का मापन

व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) में अन्तर्निहित ऋण जोखिम सीमा का मापन करने की नीचे वर्णित दो पद्धतियां हैं

1. मूल जोखिम सीमा पद्धति

इस पद्धति के अधीन किसी व्युत्पन्नी उत्पाद की ऋण जोखिम सीमा का हिसाब व्युत्पन्नी लेनदेन के प्रारंभ में निर्दिष्ट क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के साथ सांकेतिक मूलधन राशि को गुणित करते हुए लगाया जाता है। तथापि, इस पद्धति में व्युत्पन्नी संविदा के चालू बाजार मूल्य, जोकि समयांतर से भिन्न हो सकता है, को हिसाब में नहीं लिया जाता है । ऋण की समकक्ष राशि की गणना करने के लिए बैंक को लिखत के स्वरूप और उसकी मूल परिपक्वता अवधि के अनुसार प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशियों के लिए निम्नलिखित कन्वर्जन फैक्टर प्रयुक्त करना चाहिए :

मूल परिपक्वता	सांकेतिक मूल धन के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले कन्वर्जन फैक्टर (प्रतिशत)	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	0.5	2.0
एक वर्ष और दो वर्षों से कम	1.0	5.0 (2 +3)
हर अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0	3.0

2. वर्तमान जोखिम-सीमा पद्धति

इस पद्धति के अधीन व्युत्पन्नी उत्पाद ऋण जोखिम सीमा/ऋण की समकक्ष राशि का हिसाब आवधिक रूप से जिस उत्पाद की वर्तमान पुनर्स्थापन लागत का हिसाब निकालना है उसके बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। इस प्रकार, तुलनपत्र से इतर ब्याज दर और विनिमय दर लिखतों की ऋण के समकक्ष राशि निम्नलिखित दो घटकों का जोड़ होगी :

(क) सकारात्मक मूल्य (अर्थात बैंक को प्रतिपक्ष से धन प्राप्त होना होता है) के साथ सभी संविदाओं की 'बाजार के लिए मूल्य' द्वारा पायी गयी कुल पुनर्स्थापित लागत; और

(ख) संभाव्य भावी परिवर्तनों की ऋण जोखिम सीमा में परिवर्तन की राशि - जिसकी गणना संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार निम्नलिखित क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टरों द्वारा कुल सांकेतिक मूल धन का गुणित कर की जाती है।

अवशिष्ट परिपक्वता	सांकेतिक मूल धन के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले कन्वर्जन फैक्टर (प्रतिशत)	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	शून्य	1.0
एक वर्ष और अधिक	0.5	5.0

संदर्भ : बैंक पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति (1988), पूँजी मापन और पूँजी मानकों पर अन्तर्राष्ट्रीय कनवर्जेंस, अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, बास्ले।

भारत सरकार के परामर्श से समीक्षा की गयी और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में फरवरी 2003 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये। तदनुसार, ऋणदाता द्वारा (अर्थात बैंक, वित्तीय संस्थाएं या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं) मार्गदर्शी सिद्धांतों में व्यापक रूप में परिभाषित रूप में किसी मूलभूत सुविधा के लिए किसी भी रूप में दी गयी ऋण सुविधा को 'मूलभूत सुविधा क्षेत्र को ऋण' के रूप में माना जायेगा। विशेष रूप से विकास कार्यों या परिचालन और रखरखाव में लगी या निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र के किसी परियोजना को विकसित करने, परिचालित करने और रखरखाव में लगी किसी उधारकर्ता कंपनी को दी जानेवाली ऋण सुविधा 'मूलभूत सुविधा' क्षेत्र को ऋण मानी जायेगी:

- चुंगी सड़क, पुल या कोई रेल पटरी प्रणाली सहित सड़क;
- हाइवे परियोजना के अभिन्न स्वरूप की अन्य गतिविधियों सहित हाइवे परियोजना;
- बंदरगाह, हवाई पत्तन, इन लैण्ड जल मार्ग या बंदरगाह 6;
- जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल प्रक्रिया प्रणाली, सफाई व्यवस्था और मल निःसारण प्रणाली या सघन अपशिष्ट (वेस्ट) प्रबंधन प्रणाली;
- दूर संचार सेवाएं जिसमें मूलभूत या बेसिक सेल्यूलर, जिसमें रेडियो पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवाएं (अर्थात दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्ववाला और परिचालित सैटेलाइट) और ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्रांड बेण्ड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं;
- कोई औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र;
- बिजली निर्माण या बिजली निर्माण और वितरण;
- नया ट्रांसमिशन या वितरण लाइनें बिछाते हुए बिजली का ट्रांसमिशन या वितरण;
- इसी प्रकार की कोई अन्य मूलभूत सुविधा।

2.45 वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किसी समूह के उधारकर्ता को दी जानेवाली ऋण सीमा बैंक की पूंजी निधि के 40 प्रतिशत के मानदंड के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक (अर्थात 50 प्रतिशत तक) बढ़ सकती है। बशर्ते अतिरिक्त ऋण जोखिम सीमा मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के विस्तार के कारण हो। उपयुक्त के अलावा, एकल उधारकर्ता को ऋण सीमा बैंकों की पूंजी निधियों के 15 प्रतिशत के विवेकपूर्ण जोखिम सीमा मानदंड से अतिरिक्त 5 प्रतिशत (अर्थात 20 प्रतिशत तक) बढ़ायी जा सकती है,बशर्ते अतिरिक्त

ऋण जोखिम सीमा मूलभूत सुविधाओं को ऋण प्रदान करने के कारण हो। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्दिष्ट कतिपय शर्तों का पालन करनेवाली मूलभूत सुविधा संस्था से संबंधित प्रतिभूति में निवेश पर पूंजी-पर्याप्तता प्रयोजन के लिए बैंक 50 प्रतिशत का रियायती जोखिम भार दे सकते हैं।

विदेशी बैंकों के लिए मानदंड

2.46 31 मार्च 2002 से विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा की उच्चतम सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए विदेशी बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानकों के अधीन यथापरिभाषित भारत में विनियामक पूंजी (अर्थात टीयर I और टीयर II पूंजी) के रूप में 'पूंजी निधि' की संकल्पना का विस्तार करते हुए भारतीय बैंकों के समान बनाया गया। पूंजी निधि की संशोधित संकल्पना अपनाये जाने के फलस्वरूप, कुछ विदेशी बैंकों की वैयक्तिक/सामूहिक उधारकर्ताओं को दिये गये ऋणों के संबंध में जोखिम सीमा विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाओं से बढ़ गयी। अब विदेशी बैंकों को एकल/सामूहिक ऋणकर्ताओं को विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाओं से अधिक नये ऋण देने की अनुमति नहीं है।

2.47 विवेकपूर्ण जोखिम सीमा पद्धति में सुचारू रूप में परिवर्तित होने की दृष्टि से निम्नलिखित के संबंध में छूट की अनुमति दी गयी:

- विभिन्न उधारकर्ता कंपनियों के विलयन/अधिग्रहण के मामले में विदेशी बैंक यदि उनके सामूहिक ऋण (एक्सपोज़र) जोखिम विवेकपूर्ण मानदंड से बढ़ जाते हैं तो 31 मार्च 2004 तक बढ़ा हुआ सामूहिक एक्सपोजर जारी रख सकते हैं; और
- मीयादी ऋणों, बांडों/डिबेंचरों में निवेश और कार्य-निष्पादन गारंटियों आदि जैसी जोखिम सीमा की उच्चतम सीमा से अधिक वर्तमान निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं अपनी समाप्ति-अवधि/परिपक्वता तक जारी रह सकती हैं।

वाणिज्य बैंकों की वणिक (मर्चेंट) बैंकिंग सहयोगी संस्थाओं द्वारा हामीदारी

2.48 अब तक बैंकों/सहयोगी संस्थाओं से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि निवेशों और हामीदारी और अन्य प्रतिबद्धताओं (जैसे एकल विधिक व्यक्ति या संस्था के संबंध में अस्थायी सुविधा उत्पन्न (गारंटी के अनुसार दायित्व) डिवाल्वमेंट सहित निधिकृत और गैर - निधिकृत प्रतिबद्धताएं बैंक/सहयोगी बैंक की निवल स्वाधिकृत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक न बढ़ें और एकल हामीदारी दायित्व के अधीन प्रतिबद्धताएं किसी निर्गम के 15 प्रतिशत से अधिक न बढ़ें। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की पुनरीक्षा की गयी और बैंकों की वणिक बैंकिंग सहयोगी संस्था को कार्य करने के लिए एक-समान स्थिति उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि हामीदारी प्रतिबद्धताओं संबंधी वर्तमान उच्चतम सीमाएं उन पर लागू नहीं होंगी। इसके परिणामस्वरूप बैंकों की सेबी द्वारा विनियमित वणिक बैंकिंग सहयोगी संस्थाओं पर उनके द्वारा किये जानेवाले हामीदारी कार्यों के विभिन्न पहलुओं संबंधी सेबी के मानदंड लागू होंगे। तथापि, बैंकों की हामीदारी और इसी प्रकार की प्रतिबद्धताओं पर विवेकपूर्ण जोखिम सीमा संबंधी उच्चतम सीमा अपरिवर्तित बनी रहेंगी और पहले ही, रिज़र्व बैंक द्वारा समग्र उधारकर्ता/निर्गम आकार की सीमाओं पर समय-समय पर निर्दिष्ट मानदंडों के भीतर उसकी गिनती की जाती रहेगी।

सामूहिक गारंटी पर स्वयं-सहायता समूहों को अग्रिम

2.49 फिलहाल, बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने गैर-जमानती अग्रिमों के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं को इस प्रकार सीमित करें कि वे कुल बकाया गैर-जमानती अग्रिमों के साथ बैंकों की बकाया गैर-जमानती गारंटियों का 20 प्रतिशत उनके कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.50 बैंक आम तौर पर स्वयं सहायता समूहों को किसी जमानत का आग्रह किये बिना समूह गारंटियों की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में उच्च वसूली दर और यह देखते हुए कि इस कार्यक्रम से गरीबों को सहायता मिलती है, बैंकों को नवंबर 2002 में सूचित किया गया कि उनके द्वारा स्वयं सहायता समूहों को समूह गारंटी पर दिये जानेवाले गैर-जमानती अग्रिमों को अग्रणी सूचना मिलने तक गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों की गणना के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाए। कुल गैर जमानती अग्रिमों में होनेवाली वृद्धि और स्वयं सहायता समूहों को दिये जानेवाले अग्रिमों के वसूली कार्य के संदर्भ में एक वर्ष के बाद मामले की समीक्षा की जायेगी।

(ख) पूंजी पर्याप्तता

बास्ले II की गतिविधियां

2.51 नया बास्ले पूंजी समझौता, आम तौर पर बास्ले II के नाम से प्रसिद्ध, लगभग 2006 के आसपास परिचालित किया जाना है। उक्त सहमति पर्यवेक्षण में अनुसंधान और प्रथाओं में समरूपता दिखायी देती है, क्योंकि यह पूंजी-पर्याप्तता के निर्धारण को अधुनातन वित्तीय मॉडेलिंग तकनीक लागू करने का प्रयास करती है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति का तीसरा परामर्शी प्रलेख (सीपी3) इच्छुक पार्टियों और राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों द्वारा टिप्पणियों के लिए अप्रैल 2003 में जारी किया गया। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति के सीपी3 पर अपने अभिमत जुलाई 2003 में भेज दिये (बाक्स II.3)

बाक्स II.3 : नये बास्ले पूंजी समझौते पर तीसरा परामर्शी पेपर (सीपी3) और रिज़र्व बैंक के अभिमत

बैंकिंग पर्यवेक्षण की बास्ले समिति (बीएसबीएस) ने नये बास्ले पूंजी समझौते (बास्ले -II) पर तीसरा परामर्शी पेपर जुलाई 2003 में जारी किया। बीसीबीएस के बास्ले -II को 2006 के अंत तक कार्यान्वित करने की आशा के साथ 2003 के अंत तक पूरा करने के लक्ष्य को देखते हुए सीपी3 एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। सीपी3 प्रलेख अक्तूबर 2002 में परिमाणात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस3) के संबंध में 40 से अधिक देशों से प्राप्त अभिमतों का है। क्यूआइएस3 तकनीकी मार्गदर्शन से प्राप्त अभिमतों की प्रतिक्रिया में नये समझौते में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं:

- पूर्ण जमानती ऋणों के लिए (उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गयी या की जानेवाली आवासीय संपदा के दृष्टिबंधन द्वारा) मानकीकृत दृष्टिकोण में पहले के 40 प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत जोखिम भार प्राप्त होगा।
- यदि कोई बैंक अपनी हानिकारक चूक का अनुमान जहां ऐसे अनुमान आर्थिक चक्र में अस्थिर होते हैं, आर्थिक उतार के लिए उचित हानि मानकर चूक का प्रयोग किया जाना चाहिए। दृष्टिबंधक जमानत वाले फुटकर जोखिम के लिए 10 प्रतिशत के न्यूनतम हानिकर चूक मूल्य प्रस्तावित हैं।
- रिपो स्वरूप के लेनदेनों के लिए मानक या स्वेच्छा से अनुमानित कटौती के विकल्प में जोखिम पर मूल्य की पुष्टि की गयी। इस संदर्भ में पुनः परीक्षण (बैक टेस्टिंग) की पद्धति अब विकसित की गयी है।
- भारी अस्थिरतावाले वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों के लिए फिलहाल उन्नत और मूलभूत आंतरिक दर निर्धारण (आइआरबी) दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। ये कंपनी ऋणों संबंधी सामान्य आइआरबी दृष्टिकोणों से इस एक बात के अलावा समान हैं कि एक अलग जोखिम भारित पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
- क्यूआइएस3 के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में परिक्रामी खुदरा एक्सपोजर जोखिम भार वक्र को पुनः अनुसंशोधित किया गया।
- एक वैकल्पिक मानक परिचालन जोखिम दृष्टिकोण विकसित किया गया।

सीपी3 पर रिज़र्व बैंक की मूलभूत टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- अपने कुल कारोबार के 20 से 25 प्रतिशत से अधिक सीमा पार कारोबारवाले सभी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों के रूप में परिभाषित किया जाए।
- बास्ले समिति एक निश्चित सीमा (मेटेरियल) (कुल पूंजी के 10 प्रतिशत तक) निर्धारित करने पर विचार करें जिस सीमा तक पूंजी और अन्य विनियामक निवेशों के धारण करने की अनुमति दी जाए और उस सीमा से अधिक निवेशों को कुल पूंजी से घटा दिया जाये।
- केवल ऐसी निर्यात ऋण एजेंसियों को अधिमानी जोखिम भार निर्धारण में उपयोग के लिए पात्र माना जाए जो (क) अपने जोखिम स्रोत, रेटिंग प्रक्रिया और क्रियाविधि आम रूप से घोषित करते हैं, (ख) आम रूप से घोषित ओईसीडी पद्धति में अभिदान करते हैं और (ग) जिन्हें राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- बैंकों के जोखिम भार निर्धारण को जिस देश में वे निगमित हैं, उनके क्रेडिट रेटिंग से अलग किया जाना चाहिए।
- पर्यवेक्षकों के लिए यह निश्चित करना मुश्किल होगा कि बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाएं (ईसीएसआइ) याचित दर निर्धारण (रेटिंग) लेने के लिए संस्थाओं पर दबाव डालने के लिए अयाचित दर-निर्धारण (रेटिंग) का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। पर्यवेक्षकों के पास रेटिंग एजेंसियों के ऐसे व्यवहार का पता लगाने का न कोई साधन है, न ही वे इसके लिए सक्षम हैं।
- उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों को प्रारंभ में जहां मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा, वहीं उन्हें राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा आंतरिक रेटिंग प्रणाली को वैध बनाने के बाद कुछेक प्रकार के एक्सपोजरों (जोखिम-सीमा) पर अधिमानी जोखिम भार निर्धारित करने के लिए आंतरिक रेटिंग की अनुमति दी जा सकती है।
- जब एक्सपोजरों को ऐसे संविभाग के रूप में बना लिया जाता है जिन्हें खुदरा कार्यविधियों के लिए अपनाये जानेवाले दृष्टिकोणों के समान विशाखीकरण के लाभ प्राप्त हैं तब प्रधान जोखिमों पर निर्धारित जोखिम भार की स्थिति पुन: आने की काफ़ी संभावना हैं।
- विनियामक अंतरपणनों से बचने के लिए बैंकिंग की और व्यापारिक बहियों में विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार स्थिर होना चाहिए।

संदर्भ :

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (2003), तीसरा परामर्शी पेपर

भारतीय रिज़र्व बैंक (2003), नया बास्ले पूंजी समझौता मुंबई के तीसरे परामर्शी प्रलेख पर रिज़र्व बैंक की टिप्पणियां।

निवेश घटबढ़ प्रारक्षित निधि

2.52 अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण भविष्य में ब्याज दर वातावरण में किसी संभाव्य प्रतिकूलता के लिए रक्षा हेतु पर्याप्त प्रारक्षित धन तैयार करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ कर पांच वर्षों की अवधि के भीतर निवेश संविभाग में बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियोंवाले निवेश(आइएफआर) के लिए उसके 5 प्रतिशत की निवेश घटबढ़ तक प्रारक्षित निधि बनायें। जैसा कि बैंकों द्वारा निवेश घटबढ़ प्रारक्षित निधि बनाने के लिए और पांच वर्षों की छूट देने का सुझाव दिया गया था, यह निर्णय लिया गया कि जहां आइएफआर को टीयर II पूंजी माना जाता रहेगा वहीं उस पर कुछ जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, पूंजी- पर्याप्तता मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए आइएफआर सहित टीयर II पूंजी पर टीयर I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक विचार किया जायेगा। उक्त पद्धति 31 मार्च 2003 से अमल में लायी जायेगी।

(ग) आय की पहचान / आस्ति वर्गीकरण

समयातिक्रमण वाली परियोजनाओं सहित परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.53 मई 2002 में बैंकों को निदेश दिया गया कि परियोजना को पूरा किए जाने की तारीख के निर्धारण के लिए कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए तथा अन्तःवर्ती ऋण का आस्ति-वर्गीकरण इस प्रकार किया जाए:

- जिन परियोजनाओं की वित्तीय वचनबद्धता हासिल कर ली गयी है तथा जिनका औपचारिक दस्तावेज तैयार कर लिया गया है उन्हें परियोजना की समाप्ति की तारीख के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मानक आस्तियों के रूप में माना जाए (जैसा कि परियोजना के आरम्भिक वित्तीय समापन के समय मूल रूप से निर्धारित किया गया था)।
- 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक की मूल परियोजना लागत वाली 1997 के पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं जिनकी वित्तीय वचनबद्धता का औपचारिक दस्तावेज तैयार नहीं किया गया तथा जिन परियोजनाओं को पूरा किए जाने की अनुमानित तिथि बाहरी विशेषज्ञों के स्वतंत्र समूह द्वारा निर्धारित की गयी है, उन्हें परियोजना पूरा होने की अनुमानित तिथि के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मानक आस्ति माना जाए जैसा कि समूह द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 1997 के पूर्व स्वीकृत, मूल रूप से 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाएं जिनकी वित्तीय वचनबद्धता का औपचारिक दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है, उन्हें परियोजना पूरी होने की तारीख (जैसा कि परियोजना की मंजूरी के समय मूल रूप से निर्धारित किया गया था) के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मानक आस्तियों के रूप में माना जाए।
- फरवरी 2003 में बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे उपर्युक्त तीन श्रेणियों में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं, जिन्हें उपर्युक्त दिशानिर्देश के संदर्भ में 'मानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के संबंध में उपचय आधार पर आय की पहचान करें।

प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋण की वसूली

2.54 वर्ष 2002 में सबसे खराब सूखा पड़ा। राहत उपाय के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने नवम्बर 2002 में बैंकों को निदेश दिया कि राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित दक्षिण - पश्चिम मानसून की विफलता के कारण प्रभावित जिलों में खरीफ फसलों के संबंध में उस वित्त वर्ष के दौरान मूलधन अथवा ब्याज के जरिए किसी भी राशि की वसूली न करें। इसके साथ ही, ऐसे मामलों में फसल ऋण की मूल राशि को मीयादी ऋण के रूप में परिवर्तित किया जाए तथा इसकी वसूली छोटे और सीमांत किसानों के मामले में पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि में तथा अन्य किसानों के मामले में चार वर्ष की न्यूनतम अवधि में की जाएगी। फसल ऋण पर 2002-03 के वित्त वर्ष में बकाया ब्याज भी आस्थगित रखा जाएगा तथा आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

2.55 बैंकों को निदेश दिया गया कि फसल ऋण के मीयादी ऋण में परिवर्तन अथवा पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में, मीयादी ऋण को वर्तमान देय के रूप में माना जाए तथा इसे गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाए। उसके बाद इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण संशोधित शर्तों के अनुसार किया जाएगा तथा इसे गैर-निष्पादक आस्तियां माना जाएगा यदि दो छमाही से अनधिक फसल कटाई के दो मौसम तक मूलधन का ब्याज तथा / अथवा किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है।

(घ) प्रावधानीकरण मानक

अंतर - शाखा खाता

2.56 बैंकों को निदेश दिया गया कि प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया समाधान न हुई नामे और जमा प्रविष्टियों से उत्पन्न उनकी अंतर-शाखा लेखाओं में निवल नामे स्थिति के लिए 31 मार्च,1999 को समाप्त वर्ष के लिए शत-प्रतिशत प्रावधान करें। यह अवधि 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष से कम करके दो वर्ष तथा 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से और कम कर 1 वर्ष कर दी गयी। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी अंतर-शाखा लेखाओं की प्रविष्टियों का समाधान छह महीने की अवधि के भीतर कर लें। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए तथा सर्वोत्तम बैंकिंग संव्यवहारों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च,2004 को समाप्त वर्ष से बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे छह महीने से अधिक समय से समाधान न की गयी और बकाया राशियों की प्रविष्टि के संबंध में अंतर-बैंक लेखाओं में निवल नामे स्थिति के लिए शत-प्रतिशत का प्रावधान करें।

2.57 बैंकों के समाशोधन समायोजन लेखाओं में लंबे समय से लंबित बकाया प्रविष्टियों का स्तर कम करने के मद्देनजर उन्हें एक-बारगी उपाय के रूप में अनुमति दी गयी है कि 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक अवधि से बकाया 500 रुपए तक की 'प्राप्य - समाशोधन अंतरों' वाली प्रविष्टियों में से देय - समाशोधन अंतरों वाली प्रविष्टियों को घटाएं।

लेखांकन मानदंड

2.58 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानदंडों (एएस) के अनुपालन में बैंकों द्वारा अनुपालन की कमियों को दूर करने / कम करने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक कार्य समूह (अध्यक्ष : श्री एन.डी. गुप्ता) का गठन किया गया। कार्य समूह ने 1 अप्रैल 2001 से शुरू होनेवाली लेखांकन अवधि के लिए पहले से ही लागू एएस 1 से 22 के अनुपालन में तथा तदनंतर अवधि में लागू लेखांकन मानदंड एएस 23 से 28 के अनुपालन में भी बैंक की स्थिति की जाँच की। कार्य समूह में रिपोर्ट में टिप्पणी की कि पहले से ही लागू लेखांकन मानदंडों यानी लेखांकन मानदंड 1 से 22 में से आम तौर पर बैंक निम्नलिखित आठ को छोड़कर अधिकांश लेखांकन मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्तीय विवरण में हेर-फेर किया जाता है। ये निम्नलिखित एएस (लेखांकन मानदंड) से संबंधित हैं - एएस 5 (अवधि, अवधि के पहले की मदों के लिए निवल लाभ या हानि, तथा लेखांकन नीतियो ंमें परिवर्तन), एएस 9 (राजस्व पहचान), एएस 11 (विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव के प्रयोजन से लेखांकन), एएस 15 (नियोक्ताओं के वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन), एएस 17 (क्षेत्र रिपोर्टिंग), एएस 18 (संबंधित प्रश्न का प्रकटीकरण), एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) तथा एस 22 (आय पर करों की गणना)।

2.59 उपर्युक्त के मद्देनजर तथा लेखांकन मानदंडों के अनुपालन में कमियों को दूर करने के लिए कार्य-समूह ने संबंधित लेखांकन मानदंडों के संबंध में बैंकों द्वारा अनुपालन के प्रयोजन से कतिपय सिफारिशें की हैं। चूंकि आइसीएआइ संबंधित लेखांकन मानदंड में संशोधन करने की प्रक्रिया में था इसलिए कार्य समूह ने एएस 11 (विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभावों के प्रयोजन से लेखांकन) के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। मार्च 2003 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों के मार्गदर्शन के लिए समूह की सिफारिशों के आधार पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये।

अन्य संरचनात्मक और विनियामक परिवर्तन

निजी क्षेत्र के नए बैंकों का गठन

2.60 बैंकिंग प्रणाली में बृहतर प्रतिस्पर्धा लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के गठन के प्रयोजन से लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा के लिए जनवरी 1998 में एक समिति का गठन किया। तदनंतर जनवरी 2001 में निजी क्षेत्र में नये बैंकों के गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

2.61 नियत अवधि के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच रिज़र्व बैंक द्वारा प्रथम दृष्टाि पात्रता सुनिश्चित करने के लिए की गई तथा उसके बाद इसे रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च - स्तरीय परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष : डा. आइ.जी. पटेल) को भेजा गया। जून 2001 में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, समिति ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के गठन के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन जारी करने के प्रयोजन से दो आवेदन उपयुक्त पाए जाने की संस्तुति की। अनुमोदित आवेदन श्री अशोक कपूर तथा राबो बैंक नीदरलैंड और मेसर्स कोटक महिन्द्रा फाइनेंस लि. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नामक दो अन्य बैंकिंग व्यावसायिकों से प्राप्त हुए थे।

2.62 उपर्युक्त दो आवेदकों को एक वर्ष के लिए वैध "सैद्धांतिक" अनुमोदन 7 फरवरी 2002 को जारी किया गया। इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि कोटक महिन्द्रा फाइनेंस लिमिटेड "सैद्धांतिक" अनुमोदन के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षित शर्तों का पालन करता है, उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अधीन बैंकिंग कारोबार शुरू करने का लाइसेंस 6 फरवरी 2003 को जारी किया गया। बैंक ने 22 मार्च 2003 से परिचालन शुरू किया तथा इसे 12 अप्रैल 2003 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। दूसरे आवदेक को बैंकिंग परिचालन शुरू करने के लिए सभी औपचारिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 30 नवम्बर 2003 तक का समय और बढ़ाया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2.63 2003-04 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बैंकिंग कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी जाएगी ताकि विदेशी बैंकों द्वारा सहायक बैंकों की स्थापना तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में निवेश आकर्षित करना सहज हो सके। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से वोटिंग अधिकार की सीमा हटाने का प्रस्ताव किया है। यद्यपि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में व्यापक संशोधन पर सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, फिर भी केंद्रीय बजट में निर्धारित निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत तक निवेश को सहज बनाने के लिए तत्काल उपाय के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 (जो अन्य बातों के साथ शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार से संबंधित है) में संशोधन का सुझाव दिया गया।

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की स्थापना

2.64 आयात-निर्यात नीति 2002-07 में भारत सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने नवम्बर 2002 में भारत में परिचालनरत बैंकों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की अनुमति देते हुए दिशानिर्देश जारी किए जो भारत में स्थित भारतीय बैंकों की वास्तव में विदेशी शाखाएं होंगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई की स्थापना की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत भारत में परिचालनरत सभी बैंक ओबीयू बैंकिंग इकाई की स्थापना के पात्र हैं। इसमें विदेशी शाखाओं वाले तथा ओबीयू के परिचालन का अनुभव रखनेवाले बैंकों को वरीयता दी जाएगी।
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) (जो भारत में कारोबार के नए स्थान की स्थापना से संबंधित है) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र में ओबीयू की स्थापना के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक की पूर्व- अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।
- चूंकि ओबीयू भारतीय बैंकों की शाखाएं होंगी, इसलिए ऐसी शाखाओं के लिए अलग से पूंजी नियत करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, ऐसी शाखाओं को अपना परिचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए मूल बेंक से अपेक्षित है कि वह अपनी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों को न्यूनतम 10 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराए।
- रिज़र्व बैंक मूल बैंक को इसके ओबीयू शाखा के संदर्भ में नकदी प्रारक्षित अनुपात अपेक्षाओं से छूट प्रदान करेगा।
- विदेशी मुद्रा निधि एकत्र करने का स्रोत केवल बाह्य होगा।
- ओबीयू से यह अपेक्षित होगा कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए 'अपने ग्राहक को जानिए' तथा अन्य 'काले धन को वैध बनाने से रोकने' से संबंधित अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा।
- ओबीयू से यह अपेक्षित होगा कि वह अनुरूपी बैंकों में पृथक 'नास्ट्रो' खाता रखे जो उसी बैंक के अन्य शाखाओं द्वारा रखे जानेवाले 'नास्ट्रो' खाता से भिन्न होगा।
- ओबीयू की जमाराशियां जमा संबंधी बीमा के अंतर्गत नहीं आएगी।
- ओबीयू के ऋण और अग्रिम को प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र को ऋण बाध्यताओं के अभिकलन के लिए निवल बैंक ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

ऋणदाताओं की देयता: कानून संबंधी दिशानिर्देश

2.65 भारत सरकार द्वारा गठित ऋणदाताओं की देयता : कानून संबंधी कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को 5 मई 2003 को निदेश दिया गया कि वे निर्धारित व्यापक दिशानिर्देश अपनाएं तथा अपने निदेशक मंडल द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित उचित संव्यवहार संहिता बनाएं। आशा है कि उचित संव्यवहार संहिता बैंकों के अपने सेवा दायित्वों को और पारदर्शी बनाकर उधारकर्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लायेगी। दिशानिर्देश की विशिष्ट विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं:

- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (2 लाख रुपये तक) के विषय में ऋण आवेदनों में शुल्क/कार्रवाई पूरी करने के लिए देय प्रभार तथा पूर्व-भुगतान का विकल्प जैसी सूचना उल्लिखित होनी चाहिए।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति की सूचना (पावती) देने की एक व्यवस्था का विकास करना चाहिए।
- 2 लाख रुपये तक के ऋण की मांग करने वाले छोटे उधारकर्ताओं के आवेदनों की अस्वीकृति के मामले में अस्वीकृति के मुख्य कारणों की जानकारी नियत समय सीमा में लिखित रूप में दी जानी चाहिए।
- ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के ऋण आवेदनों का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए। उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता संबंधी विधिवत पूर्ववृत्त संबंधी रिपोर्ट के बदले में मार्जिन (अंतर) और सुरक्षा शर्त का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- ऋणदाताओं को स्वीकृत ऋण को निर्धारित करनेवाली शर्तों के अनुरूप ऐसे ऋण के समय पर संवितरण (सुपुर्दगी) को सुनिश्चित करना चाहिए, ब्याज दर और सेवा प्रभार सहित शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन का केवल भावी प्रभाव हो।
- ऋणदाताओं द्वारा सुपुर्दगी के बाद पर्यवेक्षण विशेषकर 2 लाख रुपये तक के ऋण के संबंध में यह ध्यान रखते हुए कि उधारकर्ता कोई वास्तविक कठिनाई का सामना न करें - सकारात्मक होना चाहिए।
- ऋण स्वीकृति के दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप से परहेज करना चाहिए।

- उधारकर्ताओं अथवा बैंक / वित्तीय संस्थान से उधार खाते के अंतरण के अनुरोध पर स्वीकृति अथवा आपत्ति की सूचना अनुरोध प्राप्ति की तारीख 21 दिन के भीतर दी जानी चाहिए।

4 जोखिम प्रबंधन

2.66 वित्त बाजार की गतिविधियों का लाभ उठाने तथा वित्त बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अन्य बाजारों का विकास करने तथा वित्तीय प्रणाली को और जोखिम में डालने से पहले प्रत्येक बाजार द्वारा प्रवर्तित जोखिम का प्रभावी तरीके से प्रबंध करने की आवश्यकता है। इसलिए बाजार विकास की नीति में अधिक उन्नत वित्त बाजारों द्वारा प्रवर्तित जोखिमों तथा संस्थागत सुधारों से व्यापक आर्थिक नियंत्रण में उत्पन्न जोखिम को कम करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। चार प्रमुख वित्तीय बाजारों : मुद्रा, ऋण, इक्विटी और विदेशी मुद्रा विनिमय द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों का वर्गीकरण और उन्हें कम करने के उपायों की रूपरेखा बॉक्स II.4 में प्रस्तुत की गयी है।

इक्विटियों और शेयरों में निवेश के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषण

2.67 जोखिम प्रबंध प्रणाली की दक्षता की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए बैंकों को निदेश दिया गया कि वे विशेषकर पूंजी बाजार जोखिम तथा स्टॉक दलाली प्रतिष्ठानों / बाजार निर्माताओं के प्रति जोखिम से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली की और अधिक समीक्षा करें। निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक में स्थापित जोखिम प्रबंध प्रणाली की दक्षता का मूल्यांकन, जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन की मात्रा का निर्धारण होना चाहिए तथा तुरंत समुचित उपाय शुरू करने के लिए अनुपालन में कमियों की पहचान होनी चाहिए।

देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश

2.68 अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) द्वारा 1997 में जारी प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का और अधिक अनुपालन करने के दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक ने देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंधन और प्रावधानीकरण से संबंधित दिशानिर्देश तैयार किये हैं। ये दिशानिर्देश बैंकों को 19 फरवरी 2003 को जारी किए गए (बाक्स II.5)।

परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन

2.69 परिचालनात्मक जोखिम में जोखिम का व्यापक दायरा आता है जो बैंक के लिए आंतरिक जोखिम है। आंतरिक व्यवस्था में कमियों, नियंत्रण प्रणाली की विफलता तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण परिचालनात्मक जोखिम प्रबंध की आवश्यकता उत्पन्न होती है। हाल के वर्षों में बैंकों के परिचालन के आकार में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों में बैंक के कार्यों का विविधीकरण हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों और कार्यकलापों में बैंकों के निवेश में वृद्धि के कारण उनसे संबद्ध जोखिमों में भी काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, बैंकिंग परिचालन के पैमाने में परिवर्तन के कारण परिचालनात्मक जोखिम प्रबंध की महत्ता बढ़ गयी है। बास्ले II अपेक्षाओं के मद्देनजर भी परिचालनात्मक जोखिम के स्वरूप और क्षेत्र की महत्ता और बढ़ गयी है (बाक्स II.6)।

ऋण और बाजार जोखिम प्रबंधन विषयक मार्गदर्शी टिप्पणियां

2.70 जोखिम प्रबंध प्रणाली विषयक दिशानिर्देश अक्तूबर 1999 में बैंकों को जारी किये गये थे। पहले फरवरी 1999 में जारी किये गये आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देश के साथ-साथ इनका उद्देश्य उन बैंकों को एक बेंचमार्क उपलब्ध कराना था जिन्हें अभी भी समन्वित जोखिम प्रबंध प्रणालियां स्थापित करनी हैं। बैंकों में विद्यमान जोखिम प्रबंध प्रथाओं को समुन्नत बनाने और उनमें सुधार लाने (फाइन-टयून करने) के एक कदम के रूप में रिज़र्व बैंक में गठित दो कार्य दलों, जिसमें चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से विशेषज्ञ लिये गये थे, की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप मार्गदर्शी टिप्पणियां जारी की गई थीं और उन्हें 2001-02 में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य बाजार सहभागियों के साथ व्यापक चर्चा हेतु रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

2.71 ऋण जोखिम के संबंध में इस मार्गदर्शी टिप्पणी में नीतिगत ढांचे, ऋण जोखिम मामलों के प्रकार, अंतर-बैंक और तुलनपत्र से इतर निवेशों में ऋण जोखिम प्रबंध और नये पूंजी समझौते से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बाजार जोखिम के संबंध में इस मार्गदर्शी टिप्पणी में चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध के साथ-साथ प्रस्तावित नये पूंजी समझौते में बाजार जोखिम से निपटने के तरीकों का समावेश किया गया है। जोखिम-मूल्य और भार-परीक्षण जैसे मुद्दों को भी इस मार्गदर्शी टिप्पणी में शामिल किया गया है। इन प्रारूप मार्गदर्शी टिप्पणियों को प्राप्त प्रतिसूचना के संदर्भ में बाद में संशोधित मार्गदर्शी टिप्पणियों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अक्तूबर 2002 में डाला गया।

बाक्स II.4 प्रमुख वित्तीय बाजारों में चुनिंदा जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय

जोखिम का स्रोत और प्रकार	मुद्रा बाजार	ऋण प्रतिभूति बाजार	इक्विटी बाजार	विदेशी मुद्रा विनिमय दर बाजार
ऋण जोखिम	आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि स्थिति संबंधी वित्तीय सूचना का विस्तृत प्रकटीकरण। ऋण जोखिम विश्लेषण को बढ़ाया जाए। पुनर्खरीद समझौतों तथा संपार्श्विक जब्ती के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।	बॉण्ड संविदाओं के मानकीकरण के जरिए क्रेडिट मूल्यन क्षमता में सुधार करना इसके लिए रेटिंग एजेंसियों का उपयोग अपेक्षित है।	—	विदेशी मुद्रा आय तथा विनिमय दर जोखिम प्रतिरक्षा क्षमताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उधारकर्त्ताओं के संबंध में व्यापक ऋण विश्लेषण करना विदेशी मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए हामीदारी का उच्च मानक लागू करना।
चलनिधि जोखिम	परिपक्वता असंगति को नियंत्रित करना तथा चलनिधि आस्तियों के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना। चलनिधि प्रबंधन दक्षताओं और तकनीकों को सुदृढ़ करना।	विभिन्न श्रेणियों को कम करना, बेंचमार्क प्रतिभूतियों का विकास करना तथा प्राथमिक व्यापारियों का उपयोग करना। प्राथमिक व्यापारियों को सहायता देने के लिए क्रेडिट के संपार्श्वीकृत स्तर को उपलब्ध कराना।	वित्तीय प्रकटीकरण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करनेवाले लेखांकन और लेखापरीक्षा के मानदंड निवेश एक्सपोजर और संकेंद्रण पर नियंत्रण	कुशल और पारदर्शी व्यापार (कारोबार) तथा बाजार संचालन व्यवस्था को बढ़ावा देने के जरिए विदेशी मुद्रा विनिमय लेन-देन के लिए सुलभ बाजार को बढ़ावा देना। विदेशी मुद्रा असंगतियों की सीमा तय करना
निपटान जोखिम	—	वास्तविक समय आधार पर प्रतिभूतियों को डीमटेरिलाइज करना, डिपोजिटरी का केंद्रीकरण करना।	विनियामक पूंजी अपेक्षाएं, वित्तीय स्थितियों का पर्यवेक्षण; शीघ्र चेतावनी प्रणाली। व्यापार (कारोबार) प्रणाली/ निपटान प्रणाली की सदस्यता पर नियंत्रण	—
ब्याज दर जोखिम	—	संविभाग के जोखिम प्रबंधन के लिए विवेक-सम्मत अपेक्षाओं का अनुपालन करना। बृहत् विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय स्थिति, व्यापार (कारोबार) आंकड़ा में पर्याप्त स्तर की पारदर्शिता हासिल करना	—	—
विनिमय दर जोखिम		—	—	तुलनपत्रेतर मदों सहित विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के लिए आंतरिक सीमा और निगरानी व्यवस्था का गठन करना। विदेशी मुद्रा क्रय की निवल स्पष्ट सीमा निर्धारित करना। विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित करना। विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रतिरक्षा के लिए व्यवस्था करना।

संदर्भ

करासडाग, सी., वी. सुंदराजन और जे. इलियट (2003) "मैनेजिंग रिस्क इन फिनांसियल मार्केट डेवलपमेंट," आइएमएफ वर्किंग पेपर सं. 116, आइएमएफ, वाशिंग्टन डी. सी.।

बाक्स II.5 : देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम प्रबंध संबंधी दिशानिदेश

देश विशेष के ऋण देने में निहित जोखिम का किसी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसा जोखिम है जिसमें किसी बाहरी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बैंक के वित्तीय हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। क्रेडिट लेन-देन के अतिरिक्त देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम में विदेशी सहायक कंपनियों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समझौतों, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन सेवा और विदेशी सेवा-प्रदाताओं के साथ अन्य बाह्य संसाधन व्यवस्था में निवेश सम्मिलित हैं। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश जोखिम वाले बैंकों में देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम प्रबंध की प्रभावी प्रक्रिया स्थापित हो जो उनके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों की मात्रा और जटिलता के अनुरूप हो।

1997 में जारी प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख सिद्धांतों में यह टिप्पणी की गयी थी कि "बैंकिंग पर्यवेक्षकों को यह समाधान करना होगा कि देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम की पहचान, निगरानी और नियंत्रण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण देने और निवेश कार्यकलापों में जोखिम के अंतरण तथा ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त भंडार रखने के लिए बैंकों के पास समुचित नीतियां और प्रक्रियाएं हो" (सिद्धांत XI)। रिज़र्व बैंक द्वारा 1999 में प्रमुख सिद्धांतों के अपने अनुपालन के संबंध में किए गए मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम संबंधी प्रबंध (सीआरएम) जैसे एक क्षेत्र में कमी पायी गयी थी। तदनुसार देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम प्रबंध (सीआरएम) संबंधी मसौदा दिशा-निर्देश पर बैंकों का मत प्राप्त करने के बाद रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2003 में सीआरएम संबंधी निर्णीत दिशानिर्देश प्रकाशित किये। ये दिशानिर्देश केवल उन देशों के संबंध में लागू हैं जहाँ बैंकों का निवेश उसकी आस्तियों का 2.0 प्रतिशत अथवा अधिक है। इस दिशा-निर्देश की विशिष्ट विशेषताओं को निम्नलिखित सात शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) नीति और प्रक्रियाएं, (ख) विषय-क्षेत्र, (ग) रेटिंग, (घ) निवेश सीमा, (ङ) निगरानी, (च) प्रावधानीकरण और (छ) प्रकटीकरण ।

- **नीति और प्रक्रियाएं -** सीआरएम नीति को देश में निवेश जोखिमों की पहचान, गणना, निगरानी और नियंत्रण के मुद्दों का ख्याल रखना चाहिए। नीति में सीआरएम निर्णयों के लिए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। बैंक को देश विशेष के निवेश में निहित जोखिम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित समुचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को शुरू करने की आवश्यकता होगी। अंतिम बात यह है कि सीआरएम नीति में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों में 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) को कठोरता से लागू करने की शर्त होनी चाहिए।
- **विषय क्षेत्र -** बैंकों द्वारा देश विशेष को ऋण देनें में निहित जोखिम की पहचान, गणना, निगरानी और नियंत्रण करते हुए अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं से निधिप्रदत्त (यानी नकदी और बैंक शेष, जमा स्थानन, निवेश, ऋण और अग्रिमों) तथा गैर-निधिप्रदत्त (यानी ऋण-पत्र, गारंटियों, निष्पादन बाण्डों, बोली बाण्डों, वारंटियां, प्रतिबद्ध ऋण सीमा) निवेशों दोनों की गणना करना आवश्यक होगा। बैंकों को देश विशेष को ऋण देने में निहित अप्रत्यक्ष जोखिम (निश्चित देश पर वृहत् आर्थिक निर्भरता वाले घरेलू वाणिज्यिक उधारकर्ताओं में निवेश) को भी सम्मिलित करना होगा जिसकी गणना निवेश के 50 प्रतिशत की दर पर की जा सकती है। निवेश जोखिम का अभिकलन निवल आधार (यानी संपार्श्विकों, गारंटियों, बीमा आदि को घटाकर सकल निवेश जोखिम) पर करना आवश्यक होगा।
- **रेटिंग -** बैंकों को देश विशेष में ऋण देने में निहित जोखिम का आंतरिक मूल्यांकन अपनाने के लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। देश विशेष में ऋण देने में निहित जोखिम के निगरानी साधन के रूप में केवल रेटिंग एजेंसियों अथवा अन्य बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय बैंकों को अपने देश विशिष्ट के ऋण जोखिम के मूल्यांकन में विदेशी शाखाओं के संगत देश विशिष्ट के प्रबंधकों से प्राप्त सूचना भी सम्मिलित करनी चाहिए। देश विशेष में ऋण देने में निहित जोखिम संबंधी रेटिंग की आवधिक समीक्षा की बारंबारता वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए तथा जिस देश में बैंक का निवेश ज्यादा है वहाँ किसी बड़ी घटना के मामले में और बारंबार समीक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
- **निवेश जोखिम सीमा -** बैंकों के बोर्ड यदि आवश्यक हो तो उत्पादों, शाखाओं, परिपक्वता आदि के लिए बैंक की विनियामक पूंजी (टियर-I और टियर II) की तुलना में देश विशिष्ट में निवेश सीमा तथा उप-सीमा निर्धारित कर सकता है। विदेशी बैंकों के मामले में विनियामक पूंजी उनकी भारतीय बही में धारित टियर I और टियर II पूंजी का योग होगा।
- **निवेश जोखिम (एक्सपोजर) की निगरानी -** 31 मार्च 2004 तक बैंकों को देश विशिष्ट निवेश की तत्काल समय निगरानी अपनानी चाहिए। अंतरिम अवधि में बैंकों को देश विशेष में अपने निवेश की साप्ताहिक निगरानी करनी चाहिए। देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम संबंधी समीक्षा तिमाही अंतराल पर की जानी चाहिए। समीक्षा में 'उच्च जोखिम और उससे अधिक' श्रेणी वाले देशों के संबंध में देश की आंतरिक रेंटिंग प्रणाली स्थापित करने में प्रगति सहित विनियामक मानदंडों के अनुपालन, आंतरिक सीमाएं, दबाव (कमी) सीमा तथा बैंकों को उपलब्ध निकासी का विकल्प आदि सम्मिलित होना चाहिए।
- **प्रावधानीकरण -** बैंकों को 31 मार्च,2003 को समाप्त होने वाले वर्ष से देश-विशेष में निवेश के लिए निवल निधिप्रदत्त आधार पर 0.25 प्रतिशत (मामूली जोखिम के मामले में) से 100 प्रतिशत (सीमित / ऋणेतर जोखिम के मामले में) तक दायरे में श्रेणीबद्ध मान का प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। जबकि बैंक अपने देश में निवेश (यानी भारत में निवेश) के लिए कोई प्रावधान नहीं करना होगा, परंतु उन्हें 'निवेश के देश' में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के निवेश को सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी। देश विशेष में निवेश के इन प्रावधानों को टियर II पूंजी के रूप में मानने की अनुमति होगी, बशर्ते ये जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर हों।
- **प्रकटीकरण -** प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में 'लेखाओं पर टिप्पणी' के भाग के रूप में बैंकों को निम्नलिखित प्रकट करने की आवश्यकता होगी (क) जोखिम श्रेणीवार देश विशेष में निवेश जोखिम तथा (ख) उनके लिए धारित कुल प्रावधानों की सीमा।

यह निर्णय लिया गया कि दिशानिदेशों की समीक्षा दिशानिदेशों को लागू करने में बैंकों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष बाद की जाएगी।

संदर्भ :

आरबीआइ (2003), रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स इन बैंकस - गाइडलाइंस ऑन कंट्री रिस्क मैनेजमेंट, आरबीआइ : मुंबई।

बाक्स II.6: परिचालनात्मक जोखिम और पूंजी संबंधी नया समझौता

परिचालनात्मक जोखिम के क्षेत्र की माप आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों की कमी अथवा विफलता अथवा बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित हानियों की संभाव्यता और प्रभाव से की जाती है। मात्रात्मक निर्धारण के लिए अपेक्षित है कि ऐसी हानियों की उम्मीद के अनुसार मात्रा निर्धारित की जाए तथा मान लिया जाता है कि हानि की संभाव्यता और वास्तविक हानि की माप की जा सकती है। व्यावहारिक स्तर पर व्यवहार में पूर्ण मात्रा-निर्धारण कठिन है। और परिचालनात्मक जोखिम की संभाव्यता और उसके आकार का विश्लेषण भी संगत आंकड़ों के अभाव में सफल नहीं हो पाता है। एक संभावित रास्ता यह है कि परिचालनात्मक जोखिम को व्यवस्थित किया जाए तथा उन्हें हानि की संभाव्यता और आकार के ढ़ांचे के संदर्भ में देखा जाए (सारणी क)।

सारणी क: अप्रत्याशित हानि का आकार और संभाव्यता

तीव्रता	संभाव्यता	
	निम्न	उच्च
निम्न	ग	ब
उच्च	घ	क

हानि के आकार और संभाव्यता के विश्लेषण के परिणामस्वरूप परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के लिए निम्नलिखित नियम सामने आए :

- परिचालनात्मक जोखिम की उच्च संभावना और उच्च स्तर वाले (सेल **अ**) कारोबार के क्षेत्र से परहेज किया जाए।
- हानि की उच्च संभाव्यता परंतु कम स्तर (सेल **आ**) वाले क्षेत्रों को प्रायः "जोखिम पूर्ण क्षेत्र" नहीं माना जाता है परंतु केवल "अत्यधिक लागत" अथवा "कम गुणवत्ता" वाला माना जाता है। ऐसे मामलों में प्रक्रिया और प्रणाली डिज़ाइन में समस्याएं बार-बार पायी जाती हैं।
- छोटे स्तर की हानि वाली कम मात्रा की संभाव्यता (सेल **इ**) को स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि इसे रोकने की लागत हानि की मात्रा से अधिक हों।
- अधिक परिचालनात्मक हानि अधिकांशतः उन क्षेत्रों में होती है जहाँ संभाव्यता कम परंतु तीव्रता अधिक हो (सेल **ई**)। ऐसे मामलों के लिए संचालन, आंतरिक नियंत्रण और प्रबंधन प्रोत्साहन जैसे निवारक उपाय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

इस तथ्य के मद्देनजर कि कई प्रमुख हानियों का प्रमुख कारण पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की कमी है, बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा निगरानी के प्रयोजन से कार्यकारी प्रबंधन और निदेशक बोर्ड के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बास्ले समिति ने हाल ही के अध्ययन में कई सिद्धांतों का मसौदा तैयार किया है।

नये बास्ले समझौते में परिचालनात्मक जोखिम की माप के लिए दृष्टिकोण की एक सूची प्रदान की गयी है। ऐसे तीन दृष्टिकोणों का प्रस्ताव किया गया है: मूल संकेतक दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत माप दृष्टिकोण। पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालनात्मक जोखिम पूंजी आबंटन परिचालनात्मक जोखिम निवेश के लिए प्रतिनिधि के रूप में एकल संकेतक (अर्थात् सकल आय) पर आधारित है। दूसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंकों के कार्यकलापों को आठ व्यवसाय वर्गों में विभाजित किया गया है (कंपनी वित्त, व्यापार और बिक्री, खुदरा बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, भुगतान और निपटान, एजेंसी सेवाएं, आस्ति प्रबंध और खुदरा दलाली)। प्रत्येक व्यवसाय वर्ग के लिए पूंजी प्रभार की गणना उस व्यवसाय वर्ग के लिए नियत एक गुणक (बीटा के रूप में निर्दिष्ट) से सकल आय को गुना करके की जाती है। तीसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत, विनियामक पूंजी अपेक्षा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानकों का उपयोग करते हुए बैंक के आंतरिक परिचालनात्मक जोखिम की माप के द्वारा उत्पन्न जोखिम माप के बराबर होगी। गुणात्मक मानदंड में स्वतंत्र परिचालनात्मक जोखिम प्रबंध कार्य, निदेशक मंडल / वरिष्ठ प्रबंधन की परिचालनात्मक जोखिम प्रक्रिया के निरीक्षण में सक्रिय भागीदारी, परिचालनात्मक जोखिम निवेश और हानि की नियमित रिपोर्टिंग तथा जोखिम प्रबंध प्रणाली का दस्तावेज तैयार करना सम्मिलित है। परिमापात्मक मानदण्ड में निम्नलिखित आते हैं: सम्पति में संभावित तीव्र हानि की घटनाओं को सम्मिलित करने में बैंक की प्रदर्शित क्षमता तथा परिचालनात्मक जोखिम के प्रमुख प्रेरकों को सम्मिलित करने में जोखिम माप व्यवस्था में पर्याप्त ग्रेनुलरिटी। इसके अतिरिक्त परिचालनात्मक जोखिम माप की प्रक्रिया में चार प्रमुख तत्वों को शामिल करना भी आवश्यक होगा: आंतरिक हानि संबंधी आंकड़ों की खोज, संगत बाह्य आंकडों का उपयोग करना, उच्च तीव्रता के अवसरों में निवेश का मूल्यांकन करने के लिए परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग करना तथा अंतिम प्रमुख कारोबारी परिवेश तथा आंतरिक नियंत्रण कारकों को सम्मिलित करना जो बैंक की परिचालनात्मक जोखिम रूपरेखा को बदल सकते हैं। इन दृष्टिकोणों के फलस्वरूप परिष्करण की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है तथा इनमें प्रोत्साहन स्वतः निहित है जो बैंकों को अपना जोखिम प्रबंध और माप क्षमताओं में निरंतर सुधार करने तथा विनियामक पूंजी का अधिक सटीक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

चूंकि परिचालनात्मक जोखिम पूंजी संबंधी नये समझौते का एक प्रमुख तत्व है, इसलिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे विशेषकर समाशोधन अंतरों को दूर करने तथा अंतर-शाखा एवं नास्ट्रो खाताओं के मिलान के लिए बही के समायोजन में विलंब को दूर करने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण और व्यवस्था पर जोर दें। समाशोधन अंतरों तथा अंतर शाखा और नास्ट्रो खाता जिसमें धोखाघड़ी की संभावना है, के मिलान में भारत में बैंकों द्वारा हासिल प्रगति की निगरानी बैंकों द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि बकाया को यथाशीघ्र कम करने के लिए तथा बकाया के नए मामले के विस्तार को रोकने के लिए भी समुचित व्यवस्था के निर्माण के लिए समेकित प्रयास करना चाहिए। धोखाघड़ी को रोकने तथा इससे उत्पन्न होनेवाले परिचालनात्मक जोखिम को कम करने के लिए बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में आंतरिक प्रणाली और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें (क) कंपनी नियंत्रण के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें, (ख) 'केवाइसी' सिद्धांत को लागू करें; (ग) धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था और प्रक्रियाओं का निर्माण करें; और (घ) आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करें तथा लेखा-परीक्षा और निरीक्षण कर्मचारियों के लिए उत्तरदायित्व की व्यवस्था करें।

संदर्भ :

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति (1998), बैंकिंग संगठन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए संरचना, बास्ले।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति (2003), पूंजी संबंधी नया बास्ले समझौता (तीसरा परामर्शी दस्तावेज), बास्ले।

वेइगैंड, सी (2002), पूंजी संबंधी नया बास्ले समझौता में परिचालनात्मक जोखिम (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डीएनबी एनएल)।

2.72 बैंक अपनी जोखिम प्रबंध प्रणालियों के उन्नयन हेतु इन मार्गदर्शी टिप्पणियों का उपयोग कर सके। जोखिम प्रबंध ढांचे की रूपरेखा बैंक की अपनी आवश्यकताओं की ओर उन्मुख होनी चाहिए जिसकी मांग उसके कारोबार के आकार और जटिलता, जोखिम दर्शन, बाजार बोध और प्रत्याशित पूंजी के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के कारगर प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी टिप्पणियों में निर्दिष्ट की गयी प्रणाली की प्रक्रियाएं और साधन केवल सांकेतिक स्वरूप के हैं। तथापि, बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणालियां कारोबार आकार, मार्केट डायनामिक्स और भविष्य में बैंकों द्वारा नवोन्मेषी उत्पाद लाये जाने से उत्पन्न परिवर्तित स्थिति को अपनाने योग्य होनी चाहिए।

5. बैंकों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन

एक बारगी निपटान / समझौता योजनाएं

2.73 5 करोड़ रुपये तक की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जुलाई 2000 में जारी किये गये थे। समीक्षा करने पर और भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि उधारकर्त्ताओं को एक मौका और दिया जाये ताकि वे आगे आकर अपनी देय बकाया राशियों का निपटान कर सकें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू संशोधित दिशानिर्देश लघु उद्योग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्र से संबंधित गैर-निष्पादक आस्तियों (निर्धारित उच्चतम सीमा से कम) को कवर करेंगे। तथापि, ये दिशानिर्देश इरादतन की गयी चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों को कवर नहीं करेंगे। सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित बकाया राशि का समझौता द्वारा निपटान हेतु 29 जनवरी 2003 को जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं :

- 10 करोड़ रुपये तक की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों का समझौता द्वारा निपटान हेतु ये मार्गदर्शी सिद्धांत लागू हैं।
- ये मार्गदर्शी सिद्धांत सभी क्षेत्रों, चाहे उस क्षेत्र के कारोबार का स्वरूप जो भी हो, की गैर-निष्पादक आस्तियों को कवर करेंगे जो निर्दिष्ट ताारीख को 10 करोड़ रुपये या उससे कम के बकाया शेष के साथ 31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानि आस्तियां बन गयी हैं।
- इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में 31 मार्च 2000 को अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर-निष्पादक आस्तियों को भी कवर किया गया है जो बाद में संदिग्ध या हानि आस्तियां बन गयी हैं।
- ये मार्गदर्शी सिद्धांत उन मामलों पर लागू होंगे जिन मामलों में बैंकों ने आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), 2002 और न्यायालयों / ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी) / औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आइ एफ आर) में लंबित मामलों को भी कवर करेंगे, बशर्ते कि उन न्यायालयों / ऋण वसूली न्यायाधिकरणों / बी आइ एफ आर से सहमति की डिक्री प्राप्त की गयी हो।
- इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2003 थी और उनकी प्रोसेसिंग 31 दिसंबर 2003 तक पूरी कर ली जानी चाहिए।

2.74 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 50,000 रुपये तक के ऋणों हेतु विशेष एक बारगी निपटान योजना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जो मार्च 2002 में जारी किये गये थे, 31 दिसंबर 2002 तक लागू थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के लागू रहने की समय सीमा बढ़ाने के लिए बैंकों से रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और देश के विभिन्न भागों में सूखे / बाढ़ की स्थिति के मद्देनज़र, भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के लागू रहने की अवधि और 3 महीने अर्थात् 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दी जाये।

लोक अदालत

2.75 रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ताकि वे *लोक अदालतों* का उत्तरोत्तर उपयोग कर सकें। उन्हें आस्तियां घटाने के लिए 10 लाख रुपये और उससे ऊपर के मामलों को हल करने के लिए विभिन्न ऋण वसूली न्यायाधिकरणों / ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा आयोजित *लोक अदालतों* में भाग लेने के लिए सूचित किया गया है। 30 जून 2003 की स्थिति के अनुसार लोक अदालतों में बैंकों द्वारा दायर मामलों / मुकदमों की संख्या 2,72,793 थी जिनमें 1,193.3 करोड़ रुपये की राशि फंसी थी और 87,907 मामलों से वसूली गयी राशि 190.5 करोड़ रुपये थी।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

2.76 भारत सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली के लिए वसूली अधिनियम, 1993 के मौजूदा प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों की विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों के संदर्भ में समीक्षा करने के साथ-साथ ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पास उपलब्ध ढांचे की पर्याप्तता की जांच करने के लिए एक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री एस.एन. अग्रवाल) का गठन किया। उस कार्य दल ने उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन सुझाये। सरकार ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (क्रियाविधि) नियमावली. 2003 में भारी संशोधन किये ताकि इस अधिनियम का बेहतर ढंग से पालन किया जा सके और साथ ही बैंकों को अनेक हल मिल सकें। 30 जून 2003 को बैंकों द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण में दायर किये गये

57,915 मामलों में (जिनमें 82,266 करोड़ रुपये की राशि फंसी थी) से 22,163 मामले (19,633 करोड़ रुपये) में फैसला सुनाया जा चुका है और अब वसूल की गयी राशि 5,787 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआइ (सरफेसी) अधिनियम, 2002

2.77 भारत सरकार ने सरफेसी अधिनियम, 2002 जारी किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना देयों की वसूली हेतु प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का प्रावधान है। सरकार ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली,2002 भी अधिसूचित की है ताकि प्रतिभूति ऋणदाता प्रतिभूतियों को लागू / प्रवर्तित करने के लिए अपने अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकें और उधारकर्ताओं से अपने देय वसूल कर सकें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे उक्त अधिनियम के अधीन कार्रवाई करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रेषित करें।

2.78 इस अधिनियम में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी)[3] को वित्तीय आस्तियां बेचने का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं कि आस्ति पुनर्निर्माण की प्रक्रिया स्वस्थ मार्ग पर चले। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ- साथ, उन वित्तीय आस्तियों का उल्लेख किया गया है जो बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा एस सी / आर सी को बेची जा सकती हैं, ऐसी बिक्री की प्रक्रिया, बिक्री के लेन-देन हेतु विवेकसम्मत मानदण्ड और संबद्ध प्रकटीकरण आदि(बाक्स II.7)।

कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) व्यवस्था

2.79 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण की एक योजना भारत में विकसित की गयी थी और उसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन हेतु 2001 में जारी किए गए थे (बाक्स II.8)। इस ढांचे का उद्देश्य बीआइएफआर, डीआरटी और अन्य कानूनी कार्यवाहियों के दायरे से बाहर वाले कंपनी ऋणों के पुनर्निर्धारण हेतु सामयिक और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना रहा है।

2.80 2002-03 की केन्द्रीय बजट घोषणाओं के परिणामस्वरूप एक उच्च स्तरीय दल (अध्यक्ष : श्री वेपा कामेसम) गठित किया गया था ताकि पिछली सी डी आर योजना को फिर से नया रूप दिया जा सके। उच्च स्तरीय दल की सिफारिशों और भारत सरकार के परामर्श के आधार पर कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण की एक संशोधित योजना को अंतिम रूप दिया गया था और उसे फरवरी 2003 में बैंकों को भेजा गया था। कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत 30 जून 2003 तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

सारणी II.1 : सीडीआर योजना के अन्तर्गत प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	मामलों की संख्या	मामलों में फंसी राशि
सी डी आर फोरम को प्रेषित मामले	71	53,736
अनुमोदित अंतिम योजनाएं	41	38,638
अस्वीकृत	18	7,252
लंबित	12	7,846

बाक्स II.7 : रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों हेतु अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निर्देशन

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2003 में प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों (एस सी / आर सी) को अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेश जारी किये। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) को ध्यान में रखते हुए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया। इन विनियमों की सहायता से प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों का सुगमतापूर्वक गठन और संचालन सुसाध्य होगा। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों में आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित पहलुओं को लेने के साथ-साथ उन पहलुओं का भी समावेश रहेगा जो पंजीकरण, स्वाधिकृत निधियों, अनुमत कारोबार, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कारोबार शुरू करने के लिए परिचालनीय ढांचा, अतिरिक्त निधियों का विनियोजन, आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियां, विवेक-सम्मत मानदण्ड और इन कंपनियों के लिए प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनियों को प्रतिभूति रसीद लिखत के जरिये निधियां जुटाना अपेक्षित है। तथापि, रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि एससी / आरसी उनके द्वारा गठित न्यास / न्यासों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के लिखत के जरिये निधियां जुटा सकती हैं।

मार्गदर्शी सिद्धांतों और निर्देशन के अलावा, जो कि अनिवार्य हैं, रिज़र्व बैंक ने भी सिफारिशी स्वरूप की मार्गदर्शी टिप्पणियां जारी की हैं जिनमें आस्तियों के अधिग्रहण, प्रतिभूति रसीदों के निर्गम, आदि से संबंधित पहलुओं का समावेश है। उधारकर्ताओं के कारोबार को पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रबंधन हाथ में लेने, बेचने या पट्टे पर देने के मामले में रिज़र्व बैंक मानक मार्गदर्शी सिद्धातों का एक सेट तैयार करने की प्रक्रिया में है। एससी / आरसी को सावधान किया गया है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 9 में दिये गये अनुसार उधारकर्त्ताओं के कारोबार का प्रबंधन हाथ में लेने, बेचने या पट्टे पर देने के कदम तब तक न उठायें जब तक कि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित नहीं कर दिये जाते। प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के संबंध में, एससी / आरसी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ-साथ सरफेसी अधिनियम, 2002 के संबंधित उपबंधों का अनुसरण करें।

[3] अध्याय VI में प्रतिभूतिकरण कम्पनियों (एससी) / पुनर्निर्माण कम्पनियों (आरसी) के बारें में विस्तृत विचार किया गया है।

बाक्स II.8 : कंपनी के लिए संकट का समाधान : पूर्व एशियाई अनुभव

जिस प्रकार से कंपनी वित्तीय संकट का समाधान किया जाता है उसे फर्म और देश दोनों की विशेषताएं प्रभावित करती हैं। फर्म अपनी पूंजी और स्वामित्व के ढांचे के अनुसार भिन्न होती हैं, जबकि देशों की भिन्नताओं में उनके कानूनी मानकों और नियंत्रक ढांचों का भी समावेश रहता है। दिवालियापन की क्रियाविधियों के उपयोग के अलावा वित्तीय संकटों से निपटने के वैकल्पिक साधन मौजूद हैं; इन साधनों में सामान्यतया शामिल रहता है : उधारदाताओं और अन्य हिस्सेदारों (स्टेकहोल्डरों) के बीच न्यायालय से बाहर समझौता या ऋण का पुनर्निर्धारण अथवा आंशिक रूप से उसे बट्टे खाते में डालना। एशियाई संकट के बाद अनेक पूर्व एशियाई निगमों ने एक ही समय वित्तीय संकट का अनुभव किया। दिवालियापन कानून, ऋणदाता के अधिकारों और न्यायिक प्रणाली की दक्षता के संबंध में पूर्वी एशिया में देशों का अनुभव बताता है कि इस संकट के बाद विद्यमान प्रथाओं में व्यापक विविधता है (सारणी - अ)।

सारणी अ : पूर्वी एशिया में दिवालियापन की आधार संहिताओं की मुख्य विशेषताएं

देश	निर्णय देने के लिए समय सारणी	क्या प्रबंधन दिवालियेपन में बना रहता है?	क्या कोई स्वचालित स्थगनादेश है?	क्या सुरक्षित उधारदाताओ को प्राथमिकता मिलती है?
इण्डोनेशिया	उधारदाता की याचिका के पंजीकरण के पश्चात् 30 कार्य दिवस (अगस्त 1998 के बाद से)	नहीं	नहीं	कार्यवाही की लागत पहले अदा करनी पड़ती है उसके बाद मज़दूरी / वेतन और सुरक्षित उधारदाताओं के दावे
कोरिया	उधारदाता की याचिका के पंजीकरण के पश्चात् 120 कार्यदिवस	नहीं	नहीं	सुरक्षित उधारदाताओं की अदायगियां पहले
मलेशिया	उधारदाता की याचिका के पंजीकरण के पश्चात् 180 कार्य दिवस	नहीं	नहीं	सुरक्षित उधारदाताओं की अदायगियां पहले
फिलीपीन्स	कोई समय सारणी नहीं	हां	हां	सबसे पहले कर अदा किये जाते हैं उसके बाद मज़दूरी और वेतन, कार्यवाही की लागत और फिर सुरक्षित उधारदाता की अदायगियां
थाईलैण्ड	कोई समय सारणी नहीं	नहीं	नहीं	कार्यवाहियों की लागत पहले अदा की जाती हैं उसके बाद कर, मजदूरी और वेतन के दावे और सुरक्षित उधारदाता की अदायगियां

संदर्भ :

क्लेसन्स एस. एस. द जंकोर तथा एल. क्लेपर (2003), 'रेजोल्यूशन आफ कारपोरेट डिस्ट्रेस इन इस्ट एशिया' जरनल ऑफ एम्पैरिकल फाइनेंस खण्ड 10

2.81 फरवरी 2003 में जारी संशोधित सी डी आर योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- इसमें 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया निवेशों वाले बहु बैंकिंग खातों / ऋण समूहन / संघीय खातों को कवर किया जायेगा।
- यह उधारकर्ता- उधारदाता करार (डी सी ए) और अंतर-उधारदाता करार (आइ सी ए) पर आधारित एक स्वैच्छिक प्रणाली होगी।
- सी डी आर में त्रिस्तरीय प्रणाली होगी जिसमें (क) सी डी आर स्टैंडिंग फोरम और इसका एक स्थायी समूह (कोर ग्रुप) (नीति निर्धारक निकाय), (ख) सी डी आर द्वारा शक्तियां प्राप्त समूह (सी डी आर व्यवस्था को संदर्भित मामलों के पुनर्निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने वाले कार्यात्मक समूह) और (ग) कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण कक्ष (सी डी आर प्रणाली का सचिवालय) होगा।
- इन संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में उन उधारदाताओं के लिए बाहर जाने के विकल्प दिये गये हैं जो अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए कोई वचन नहीं देना चाहते या फिर वे अपने विद्यमान जोखिम (हिस्से (स्टेक)) को बेचना चाहते हैं।
- 'निश्चल' (स्टैण्ड - स्टिल) करार जो ऋणकर्ताओं और ऋणदाताओं पर क्रमशः 90 दिन और 180 दिन के बाध्यकारी होगा, जिसके तहत दोनों पक्ष इस बात का वचन देंगे कि इस 'निश्चल' अवधि के दौरान दोनों में से कोई भी कानूनी रास्ता नहीं अपनायेगा।

चूककर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना और ऋण सूचना ब्यूरो की भूमिका

2.82 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सावधान करने तथा उन्हें अन्य उधारदात्री संस्थाओं के चूककर्ताओं से सतर्क रहने एवं उन्हें अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों का बेहतर प्रबंध करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने ऋण संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान करने के संबंध में एक योजना प्रस्तुत की है। इस योजना का लक्ष्य उनसे उन उधारकर्ताओं के संबंध में विवरण लेना / उन्हें देना है जिनके कुल बकाया 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के हैं और जो उनके द्वारा 'संदिग्ध' या 'हानि' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं अथवा जहां उनके द्वारा मुकदमे दायर किये गये हैं। जबकि मुकदमा

दायर न किये गये खातों (अर्थात् संदिग्ध और हानि खाते) के संबंध में सूचना छमाही आधार पर अर्थात् 31 मार्च और 30 सितंबर (उनके गोपनीय उपयोग के लिए फ्लापी डिस्क पर) को प्रसारित की जाती है और मुकदमा दायर खातों संबंधी सूचना प्रतिवर्ष 31 मार्च को प्रकाशित की जाती है और उसे प्रत्येक तिमाही में अद्यतन बनाया जाता है। मुकदमा दायर खातों के संबंध में सूचना अब सी डी पर प्रकाशित की जाती है और यह रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलबध है। चूककर्ता सूची (मुकदमा न दायर किये गये खाते) 30 सितंबर 2002 को प्रकाशित की गई थी तथा चूककर्ता सूची (मुकदमा दायर खाते) सीडी के रूप में 31 मार्च 2002 को प्रकाशित की गई है और यह रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 31 दिसंबर 2002 तक इसकी तिमाही अद्यतन सूचियां वेबसाइट पर भी डाली गई हैं।

2.83 इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में योजना बनाने की दृष्टि से इरादतन चूक करने वाले चूककर्ताओं के संबंध में गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एस.एस. कोहली) की सिफारिशों के अनुसरण में 30 मई 2002 को बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था और "इरादतन की गई चूक" की संशोधित परिभाषा के साथ-साथ उधारकर्ताओं द्वारा धन के अन्यत्र उपयोग और निधियों की साइफनिंग के बारे में जानकारी सहित उनके द्वारा जानबूझकर चूक करनेवाले चूककर्ताओं के बारे में दण्डात्मक कार्रवाई करने के उपायों के बारे में भी सूचित किया गया था। इस दिशा में उठाये गये एक अन्य कदम में रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं द्वारा गलत इरादे से निधियों का अन्यत्र उपयोग करने के बारे में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और निधियों के अंतिम उपयोग के गलत प्रमाणन के मामले में उनके विरुद्ध फौज़दारी कार्रवाई करने की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में एक कार्य दल का गठन किया। इस समूह ने अप्रैल 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनकी सिफारिशें रिज़र्व बैंक के विचाराधीन हैं। एक पारदर्शी उपाय के रूप में 29 जुलाई 2003 को बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे प्रतिवेदन करने वाले उधारकर्ताओं का पक्ष सुनने के लिए कि जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ताओं के रूप में उनका गलत वर्गीकरण किया गया है, एक उच्च स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था बनायें।

2.84 दिनांक 4 जून 2002 को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे दिसंबर 2002 के अंत तक के 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों तथा दिसंबर 2002 को समाप्त तिमाही तक 25 लाख रुपये और उससे अधिक के जानबूझकर की गई चूक वाले मुकदमा दायर खातों के संबंध में आवधिक सूचना रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के साथ-साथ क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया लि. (सिबिल) को भी प्रस्तुत करें और उसके बाद केवल सिबिल को ही प्रस्तुत करें। तथापि, उनके चूककर्ताओं की सूचियों के मुकदमा दायर न किये गये खातों से संबंधित आवधिक आंकड़े विगत की भांति ही केवल रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना जारी रहेगा। इसके अलावा, सिबिल के पास ऋण सूचना / आँकड़ों के व्यापक आधार की दृष्टि से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 1 अक्तूबर 2002 को सूचित किया गया था कि वे मार्च 2002 को समाप्त अवधि से 1 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बीचवाले मुक़दमा दायर खातों के संबंध में केवल सिबिल को ही सूचना दें। दिनांक 1 अक्तूबर 2002 को उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि वे चरणबद्ध रूप में अपने उधारकर्ताओं और उनके गारंटरों की यह सहमति प्राप्त करें कि चूक की स्थिति में उनके नाम प्रकट किये जायेंगे और उस संबंध में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार सिबिल को प्रगति - विवरणियां प्रस्तुत करें। इससे सिबिल सभी (मुकादमा न दायर किये गये) उधार खातों के संबंध में एक व्यापक ऋण सूचना और आंकड़ा आधार बन सकेगा तथा इसे अपने सदस्यों के बीच बांट सकेगा एवं ऋण सूचना प्रकटीकरण का कार्य उसकी पूरी समग्रता के साथ रिज़र्व से अधिगृहीत कर सकेगा। तथापि, इस स्थिति की समीक्षा करने और सहमति शर्त प्राप्त करने की समय सारणी के अनुपालन में आनेवाली बाधाओं पर विचार करते हुए उन्हें 10 फरवरी 2003 को सूचित किया गया था कि सहमति शर्त प्राप्त करने और सिबिल को विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की संशोधित अनुसूची क्रमशः सितंबर 2004 और दिसंबर 2004 से प्रारंभ होगी।

6. नीति निर्माण में परामर्शक प्रक्रिया

2.85 नीति निर्माण में सहायता देने के लिए परामर्शक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की पहल के एक भाग के रूप में वित्तीय बाजार सहभागियों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने कदम उठाये हैं। मुद्रा और ऋण बाजारों की गतिविधियों की निगरानी करने के साथ-साथ बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करनेवाली विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा करने के लिए रिज़र्व बैंक के अधिकारियों, चुनिंदा बैंकों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें मौद्रिक और वित्तीय नीतियों के संचालन में बढ़ती पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण की दिशा में एक कदम है।

ऋण विनियोजन के संबंध में बैंकरों के साथ बैठकें

2.86 ऋण स्थिति की कड़ी निगरानी करने के साथ-साथ क्षेत्रों और उद्योगों की वृद्धि की दिशा के संबंध में नियमित प्रतिसूचना (फीडबैक) पाने के लिए अगस्त 2001 से चुनिंदा बैंकों (जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र / विदेशी बैंक शामिल हैं) के कार्यपालकों के साथ हर महीने की पंद्रह तारीख को मासिक बैठक आयोजित की जाती हैं। कुछ बैंकों द्वारा इन बैठकों में भाग लेने के प्रति रुचि दर्शाने के

परिप्रेक्ष्य में फरवरी 2003 से भाग लेनेवाले बैंकों की संख्या 15 से बढ़ाकर 21 कर दी गयी थी। ये बैठकें विभिन्न उद्योगों को ऋण के संभावित प्रवाह, समष्टि आर्थिक परिदृश्य संबंधी प्रत्याशाओं और बैंकिंग उद्योग पर प्रभाव डालनेवाले विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच उपलब्ध कराती है ताकि मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए अपेक्षित सूचनाएं (इनपुट) प्राप्त हो सकें।

संसाधन प्रबंधन चर्चाएं

2.87 वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति वक्तव्य की घोषणा से पूर्व प्रतिवर्ष चुनिंदा बैंकों के साथ संसाधन प्रबंध चर्चा हेतु बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मुख्यतः अर्थव्यवस्था के संबंध में बैंकरों का बोध और दृष्टिकोण, चलनिधि स्थिति, ऋण प्रवाह, विभिन्न बाजारों का विकास और नीति से ब्याज दरों की दिशा के संबंध में इनकी अपेक्षाएं और इस संबंध में सुझावों पर ध्यान केन्द्रित रहता है। 2002-03 में ये बैठकें मार्च 2003 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में 10 बैंकों (जिसमें दो विदेशी बैंक और दो निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं) के साथ आयोजित की गई थीं। वर्ष 2003-04 की मौद्रिक एवं ऋण नीति तैयार करते समय इन बैठकों में प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखा गया था।

7. ऋण वितरण

प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार देना

2.88 क्रियाविधियों को सरल बनाकर, विकेन्द्रित निर्णयन को प्रोत्साहित करके तथा स्पर्धा को बढ़ाकर ऋण वितरण व्यवस्था को सुधारने के एक और कदम के रूप में वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किये गये थे :

- कृषि के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई / छिड़काव सिंचाई प्रणाली / कृषि मशीनरी के व्यापारियों को दिये जानेवाले अग्रिमों की सीमाएं 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई हैं चाहे उसका स्थान कहीं भी हो।
- लघु कारोबार स्थापित करने के लिए कार्यशील पूँजी के लिए वित्त बिना कोई उच्चतम सीमा निर्धारित किए विद्यमान समग्र सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अलावा बैंकों को इस बात की छूट है कि वे विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यकताओं के आधार पर कार्यशील पूंजी के लिए अलग-अलग उच्चतम सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।
- दस्तकारों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की एकल ऋण सीमा 25,000 रुपये की विद्यमान सीमा से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यह प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को अग्रिमों की समग्र सीमा के 25 प्रतिशत अथवा निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत के अधीन होगी।
- आवास क्षेत्र को और ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए आवास ऋण 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आवास हेतु बढ़ती मांग तथा इन क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को वित्तपोषण में सुधार लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि बैंक अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के एक अंग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपये तक का सीधा वित्तपोषण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ग्रामीण ऋण

सूखा पीड़ित कृषकों को राहत

2.89 पूर्व संकेतों के अनुसार, सूखा पीड़ित जिलों (राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनानुसार) में बैंकों द्वारा किये जानेवाले सूखा राहत उपायों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत नवंबर 2002 में जारी किये गये थे।

2.90 सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों की कठिनाइयों को और हलका करने के उद्देश्य से, सरकार ने दिसम्बर 2002 में यह निर्णय लिया था कि एक बारगी उपाय के रूप में, उन राज्यों में खरीफ ऋणों पर पहले वर्ष की आस्थगित ब्याज देयता को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। माफ की जानेवाली राशि की एक सीमा होगी जो केवल पहले वर्ष के लिए ब्याज की कुल आस्थगित देयता के 20 प्रतिशत के समकक्ष होगी। बैंकों द्वारा माफ की जानेवाली इस आस्थगित ब्याज की इस किस्त की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा और आस्थगित ब्याज की शेष रकम उचित किस्तों में वसूल की जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों का सुझाव देने हेतु कार्य-दल

2.91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और उसके सम्बंध में ऐसी सिफारिशें करने हेतु, जिनके लागू करने से बैंक ग्रामीण जनसाधारण की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों हेतु सुझाव देने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्षः श्री एम.वी.एस चलपति राव) गठित किया (बाक्स II.9)।

बाक्स II.9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों के लिए सुझाव देने हेतु गठित कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के आमुख में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तीय सेवाओं के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
- उचित रूप से स्वीकरण के साथ पूँजी-पर्याप्तता मानदण्डों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उनके जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात पर आधारित इक्विटी की विशिष्ट राशि के साथ चरणबद्ध रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू करने की आवश्यकता होगी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर विभेदक स्वामित्व संरचना की अनुमति देनी चाहिए।
- प्रवर्तक संस्थानों के लिए शेयरधारिता की निहित न्यूनतम सीमा 51 प्रतिशत होनी चाहिए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि उसमें सभी जिलों को शामिल किया जा सके।
- क्षेत्रीय स्वरूप तथा उनकी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक पहचान को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पड़नेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया जाए ताकि प्रत्येक राज्य में एक या कतिपय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा सकें ।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्डों में अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्यों की संख्या न्यूनतम पांच और अधिकतम ग्यारह होनी चाहिए। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वर्तमान की तरह निदेशकों की संख्या एक समान निर्धारित नहीं की जा सकती।
- समेकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कतिपय प्रायोजक बैंकों को उससे मुक्त किया जा सकता है और कतिपय वित्तीय संस्थानों तथा रणनीति का प्रबंध करनेवाले अन्य साझेदार इस दायित्व को प्रायोजक संस्थानों के रूप में ले सकते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विनियामक ढ़ाँचा वाणिज्यिक बैंकों के विनियामक ढ़ांचे के अनुसार होना चाहिए तथा बैंक विशेष को किसी विशिष्ट समयावधि के लिए जब कभी आवश्यक समझी जाएं कुछ विशिष्ट रियायतें दी जा सकती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लाइसेंसिंग के सांविधिक मानदण्डों के अधीन हों और प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को चाहिए कि वह भी रिज़र्व बैंक से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एक विशिष्ट समयावधि के भीतर लाइसेंस प्राप्त करे।
- अर्धवार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शुरू की जाये।
- सभी प्रकार की वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण निर्धनों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तुरन्त उनके कारोबार के विशाखन को प्रोत्साहित किया जाये।
- बैंक के संसाधनों पर अभीष्टतम प्रतिलाभ अर्जित करने के लिए निवेश कार्यों के व्यवसायीकरण हेतु लागत और लाभों के बारे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्वयं अपने निर्णय के आधार पर अपने प्रायोजक बैंकों / संस्थानों अथवा अन्य स्थापित तथा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के संविभाग प्रबंध सेवाप्रदाता से सभी प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन प्रक्रियाओं को किफायती ढंग में स्पर्धात्मक ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने विकास के विभिन्न चरणों में अपनाया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी को लागू करने के कार्य की निगरानी राष्ट्रीय स्तर की किसी स्थायी समिति द्वारा की जाए जो विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कंप्यूटरीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न मामलों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मार्गदर्शन कर सकें ।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)

2.92 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों प्रकार के उन बैंकों को जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र या कृषि को उधार देने में निर्धारित अपेक्षा से पीछे रह गये हैं, उन्हें वह विशिष्ट आबंटन ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) में करना होगा। आरआइडीएफ की स्थापना नाबार्ड के यहाँ की गयी ताकि वे मझोली और लघु सिंचाई, योजनाओं भू-संरक्षण, जल संरक्षण - प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी सुविधा के अन्य प्रकारों से संबंधित चल रही परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति करने में राज्य सरकारों / राज्य स्वामित्ववाले निगमों को सहायता प्रदान कर सकें। नाबार्ड में वर्ष 2003-04 के दौरान आरआइडीएफ का नौंवी शृंखला 5,500 करोड़ रुपयों के आधार - निधि के साथ स्थापित की गयी।

2.93 आरआइडीएफ - I से VI तक के मामले में निधि में रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दर सभी बैंकों के लिए उनकी कमी की राशि की सीमा चाहे कितनी ही क्यों न हों, एक समान थी । आरआइडीएफ VII से यह निर्णय किया गया कि आरआइडीएफ जमाराशियों पर ब्याज दर को कृषि को उधार देने में बैंक के निष्पादन के साथ जोड़ा जाए। तदनुसार, आरआइडीएफ VII से बैंक कृषि उधार में उनकी कमी के साथ व्युत्क्रमानुपाती दरों पर ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। आरआइडीएफ - IX के मामले में आरआइडीएफ से बाहर के ऋणों पर ब्याज दर बैंक दर से जोड़ी गयी है और उसे बैंक दर से 2.0 प्रतिशत बिन्दु अधिक पर निर्धारित किया गया है।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों के कार्यों पर समीक्षा दल

2.94 स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की स्थापना हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 1996 में घोषित किये गये । तब से एलएबी की कोई व्यापक संवीक्षा नहीं की गई, जुलाई 2002 में एलएबी योजना पर अध्ययन और सिफारिश करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक समीक्षा दल (अध्यक्ष : श्री जी. रामचंद्रन) का गठन किया गया। दल की अधिकांश सिफारिशों को रिज़र्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है जो निम्नानुसार हैं:

- जब तक वर्तमान एलएबी को सुदृढ़ न बना दिया जाए और वर्तमान एलएबी को मजबूत बनाने के उपाय न कर दिये जाएं तब तक नये एलएबी के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

- वर्तमान एलएबी को आर्थिक सक्षमता प्राप्त करने के लिए पांच वर्षों की अवधि में कम से कम 25 करोड़ रुपये की निवल हैसियत प्राप्त करने को कहा जाए।
- एलएबी को कम से कम 15 प्रतिशत की एक न्यूनतम पूँजी-पर्याप्तता बनाये रखनी चाहिए, और
- एलएबी को किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक के समान ही समझा जाए और इसलिए विनियमन और पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक के उसी पक्ष को सौंपा जाए जो वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

लघु उद्योगों के लिए ऋण

2.95 लघु उद्योग क्षेत्र को रिज़र्व बैंक की नरम ब्याज दर नीति का लाभ देने के लिए, बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अच्छे (ट्रैक) रिकार्ड वाले लघु उद्योगों को मूल उधार दर (पीएलआर) के ऊपर कम-व्याप्त (स्प्रेड) का लाभ दिया जाए और ब्याज दर में सामान्य नरमी की ओर सुझाव को ध्यान में रखकर ब्याज दरों को नीचे की ओर पुनः निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बजट 2003-04 में घोषित किये गये अनुसार भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे सुरक्षित अग्रिमों के लिए मूल उधार दर से 2 प्रतिशत से अधिक या कम की ब्याज दर सीमा अपनायें। विलंबित भुगतान की समस्या से निपटने के लिए बैंकों को यह सूचित किया गया कि बड़े उधारकर्ताओं को, विशेष रूप से लघु उद्योग से खरीद के संबंध में भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए समग्र कार्यकारी पूँजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें। इस क्षेत्र को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण आवेदनों के निपटान हेतु एक समय का ढाँचा निर्धारित किया गया। हाल ही में 2003-04 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में बैंकों को लघु उद्योग इकाइयों के पिछले अच्छे रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विक अपेक्षा को हटाने के लिए ऋण सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये (अपने बोर्ड के अनुमोदन से) करने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा मंजूर किये गये सभी नये ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये उधार में शामिल किया जायेगा।

8. मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार

मुद्रा बाजार

मांग / सूचना मुद्रा बाजार पर निर्भरता

2.96 वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में मांग / सूचना मुद्रा बाजार में बैंकों के उधार लेने और उधार देने दोनों में संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से विवेकपूर्ण सीमाओं की घोषणा की गई। यह वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनाये रखने और सावधि मुद्रा बाजार और रिपो बाजार का विकास करने के लिए किया गया था। तदनुसार बैंकों से परामर्श करके उधार लेने और उधार देने दोनों के संबंध में विवेकसम्मत सीमाएं दो चरणों में 5 अक्तूबर 2002 तथा 14 दिसम्बर 2002 से लागू की गयीं। फिलहाल दूसरे चरण में, 14 दिसम्बर 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के उधार किसी पखवाड़े पर औसत आधार पर उनकी स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः बैंकों को किसी पखवाड़े के दौरान किसी एक दिन पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति दी गई है। उसी प्रकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार उनके स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत अथवा जमाराशियों के 2 प्रतिशत से जो भी उच्चतर हो से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः बैंकों को किसी पखवाड़े के दौरान किसी विशिष्ट दिन पर अपनी स्वाधिकृत निधियों के अधिकतम 125 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी गई।

2.97 इस शर्त के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन में बिना किसी रुकावट निर्बाध समायोजन सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया कि वे विवेकपूर्ण सीमाओं से अधिक में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में 4 अक्तूबर 2002 द्वारा प्रथम चरण के लिए यथानिर्दिष्ट उधारकर्ता और / अथवा उधारदाता के रूप में अपनी स्थिति को सीमित करें। तथापि रिज़र्व बैंक किसी बैंक द्वारा असंतुलन का सामना करने पर, उसके अनुरोध पर निर्धारित सीमा से अधिक के लिए मांग/सूचना मुद्रा बाजार के लिए अस्थायी पैठ की अनुमति दे सकता है। निर्धारित मानदण्डों से अधिक बढ़ती पैठ की अनुमति भी रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकतम अवधि के लिए रिज़र्व बैंक की संतुष्टि होने पर पूरी तरह क्रियाशील एएलएम प्रणाली वाले बैंकों के लिए दी जाए।

2.98 5 अक्तूबर 2002 से प्राथमिक व्यापारी किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत तक उधार देने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक चरण I और II में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा उधार लेने का संबंध है, प्राथमिक व्यापारियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के क्रमशः 200 प्रतिशत और 100 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी जायेगी। ये रिपो बाजार में कतिपय गतिविधियों के अधीन प्रभावी होंगे।

निवल -अंतर बैंक मांग मुद्रा बाजार की ओर बढ़ने में प्रगति

2.99 एक निवल अंतर बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाजार की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से बैंकेतर सहभागियों को 14 जून 2003 से दूसरे चरण में किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े में, औसतन, 2000-01 के

दौरान मांग/सूचना बाजार में अपने औसत दैनिक उधार के 75 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में प्रस्ताव किया गया है कि 27 दिसंबर 2003 के प्रारंभ होनेवाले पखावाड़े से बैंकेतर सहभागियों को 2000-01 में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में दिये गये उनके दैनिक औसत उधारों के 60 प्रतिशत तक एक रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसत उधार देने की अनुमति दी जायेगी। बैंकेतर सहभागिता के चरणबद्ध समापन की समय सारणी बाजार सहभागियों के परामर्श से घोषित की जाएगी।

मुद्रा बाजार से सहकारी बैंकों द्वारा उधार लेना

2.100 वर्ष 2001 के प्रारंभिक भाग के दौरान सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियों के परिणामस्वरूप और मांग/सूचना मुद्रा बाजार में कुछ शहरी सहकारी बैंकों की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से 19 अप्रैल 2001 को यह शर्त लगायी गयी कि मांग/सूचना मुद्रा बाजार में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर उधार लेने की राशि पिछले वित्तीय वर्ष के मार्चान्त तक उनकी समग्र जमाराशियों के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात वही शर्त 29 अप्रैल 2002 से राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए लागू की गयी।

जमा प्रमाणपत्र बाजार

2.101 वित्तीय बाजार में पारदर्शिता तथा लचीलापन प्रदान करने और द्वितीयक बाजार लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह शर्त लगायी गयी कि निक्षेपागार अधिनियम, 1996 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा प्रमाणपत्रों को 30 जून 2002 से अभौतिक रूप में जारी किया जाना चाहिए। भौतिक रूप में विद्यमान बकाया जमा प्रमाणपत्रों को अक्तूबर 2002 तक अभौतिक रूप (डिमैट फार्म) में परिवर्तित किया जाना है।

2.102 निवेशक आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमाप्रमाणपत्रों का न्यूनतम आकार जून 2002 में घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। निश्चित आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी लिखत संघ ने भी 20जून 2002 को भौतिक तथा डिमैट दोनों फार्म में जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया, प्रलेखीकरण तथा परिचालनात्मक दिशानिदेश भी जारी किये। इसके अलावा, जमा प्रमाणपत्रों की कीमतों के निर्धारण में अधिक लचीलापन लाने के लिए और निवेशकों और जारीकर्ताओं दोनों को अतिरिक्त विकल्प देने के उद्देश्य से अब जमा प्रमाणपत्रों को कूपन धारक लिखत के रूप में भी जारी किया जा सकता है और बैंक सचल दर आधार पर जमा प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं, बशर्ते सचल दर की गणना करने की प्रणाली वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और बाजार आधारित हो। इस संबंध में मानक प्रक्रिया और प्रलेखीकरण संबंधी दिशानिदेश एफआइएमएमडीए द्वारा बाजार सहभागियों से परामर्श करके जारी किये जाएंगे।

ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखत

2.103 वर्ष 2002-03 के लिए मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने रुपया व्युत्पन्नी लिखत के संबंध में नवम्बर 2002 में एक कार्यकारी दल (अध्यक्षः श्री जसपाल बिंद्रा) का गठन किया, जिसमें बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, पारस्परिक निधियों और रिज़र्व बैंक का उचित प्रतिनिधित्व था। वित्तीय तथा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति की सिफारिशों पर ओटीसी (काउंटर पर) ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखतों से संबंधित मामलों के अलावा उक्त दल के विचारणीय विषयों में शेयर बाजार में खरीदे-बेचे गये ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखतों के मामलों को भी शामिल किया गया। उक्त दल ने जनवरी 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- प्रथम चरण में अनुमति दिये जाने वाले कम जटिल ओटीसी ब्याज दर रुपया विकल्पों में वनीला कैप्स, फ्लोर्स और कॉलर्स, यूरोपियन स्वैप्शंस, रातभर के लिए सूचकांक स्वैप और वायदा दर करार पर आधारित नियत आय लिखतें/बेंचमार्क दरों पर (क्रय-विक्रय) विकल्प और अनलीवर्ड सांचागत स्वैप शामिल हैं जहां इस प्रकार के विन्यास का जोखिम स्वरूप (ब्लॉक) बिल्डिंग की संरचना के समान है।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों को ऑप्शन को खरीदने और बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनियां, प्रीमियम की निवल प्राप्तकर्ता न होते हुए भी प्रारंभ में आप्शंसों को बेच सकती हैं। पारस्परिक निधियां तथा बीमा कंपनियां भी जब कभी उन्हें उनके संबंधित नियंत्रक अनुमति दें, आप्शंस लिख सकती हैं।
- वर्तमान चरण में विनिमय पर व्यापार के लिए चार संविदाओं अर्थात (क) अल्पावधि मुबई अंतर बैंक ऑफर दर (मिबोर) फ्यूचर्स संविदा, (ख) मिफोर फ्यूचर्स संविदा, (ग) बाण्ड फ्यूचर्स संविदा और (घ) दीर्घावधि बाण्ड इन्डेक्स फ्यूचर्स संविदा पर विचार किया जा सकता है।
- बाजार विनियामक को केवल व्यापक पात्रता मानदण्ड निर्धारित करने चाहिए और शेयर बाजारों को विचाराधीन स्टाकों तथा सूचकांकों पर विचार करने की छूट होनी चाहिए जिस पर फ्यूचर्स और आप्शंस की अनुमति दी जाए।

- नेटिंग (बिक्री-खरीद निवल) की अनुमति ग्राहक स्तर की स्थितियों पर दिन के अंदर करने देनी चाहिए।
- ब्याज दर व्युत्पन्नियों पर विनिमय आधारित लेनदेनों के लेखांकन हेतु मार्गदर्शी दिशानिदेश विकसित करने के लिए आइसीएआइ से अनुरोध किया जा सकता है।
- रिज़र्व बैंक तयशुदा लेनदेन प्रणाली प्लेटफार्म पर किसी मानकीकृत रूप में किये गये लेनदेनों के अनाम प्रकटीकरण पर अनिवार्य रूप से विचार कर सकता है।
- (फिम्डा) (एफआइएमएमडीए) द्वारा प्राधिकृत ब्रोकरों को ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार में लेनदेन की अनुमति दी जाए।
- ऐसे डेरिवेटिव उत्पाद के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने पर सेबी विचार कर सकता है जिनका म्युचुअल फंड लेनदेन कर सकें। डेरिवेटिव बाजार में बीमा कंपनियों की सहभागिता के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) को दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।
- काउंटर पर डेरिवेटिव संविदा को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाने के लिए प्रतिभूति संविदा और विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 18 अ में आशोधन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ जोरदार प्रयास किये जाएं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा भारत में की गयी डेरिवेटिव संविदाओं की स्थिति स्पष्ट करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 में आशोधन किया जाए।
- डेरिवेटिव व्यापारी माडल की उपयुक्तता के बारे में अपने मत के अनुसार ब्याज दर विकल्प के लिए मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन माडल चुन सकते हैं।
- बाजार सहभागियों द्वारा साझी न्यूनतम सूचना संरचना और सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली अपनायी जाए।

2.104 इसी बीच रिज़र्व बैंक ने सरकार और सेबी के साथ परामर्श करके विनियमित संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा विपणन ब्याज दर डेरिवेटिव में भाग लिये जाने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक व्यापारियों और विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को चरणबद्ध रूप में विदेशी मुद्रा विपणन ब्याज दर डेरिवेटिव में विपणन करना है। प्रथम चरण में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ ब्याज दर डेरिवेटिव में कारोबार के लिए बेनामी आदेश संचालित प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। पहले चरण में ऐसी संस्थाएं अपने विचाराधीन निवेश संविभाग में जोखिम की प्रतिरक्षा के सीमित उद्देश्य से कल्पित बांड (नोशनल बाण्ड) और खजाना बिलों के ब्याज दर फ्यूचर्स में ही लेनदेन कर सकती हैं। तथापि प्राथमिक व्यापारियों को कुछ विवेकपूर्ण विनियमों के अंतर्गत लेनदेन में सहभागी होने की अनुमति दी गयी है। प्राप्त अनुभव के आधार पर प्राथमिक व्यापारियों से भिन्न संस्थाओं को भी व्यापक स्वरूप के उत्पादों में लेनदेन करने तथा बाजार में सहभागी बनने के लिए अनुमति दिये जाने के संबंध में अगले चरण में विचार किया जायेगा।

2.105 इस समय, बिक्री के लिए उपलब्ध और विपणन के लिए धारित एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत सरकारी प्रतिभूतियों में निहित ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा करने के लिए ही अनुमति दी गयी है।

2.106 शेयर बाजारों में किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव लेनदेन को केवल तभी प्रतिरक्षा लेनदेन के रूप में माना जायेगा जब, क) 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'विपणन के लिए धारित' श्रेणियों में विचाराधीन सरकारी प्रतिभूतियों के साथ प्रतिरक्षा का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया हो, ख) प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती हो, और ग) प्रतिरक्षा का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता हो और वह पूरे समय 'अत्यधिक प्रभावी' हो।

2.107 हरेक अनुमोदित दलाल के लिए संविदा की सकल उच्चतम सीमा के रूप में वर्ष में किये गये कुल लेनदेनों के 5 प्रतिशत के वर्तमान मानदंड का पालन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए जो शेयर बाजार के अनुमोदित फ्यूचर्स और आप्शन्स सदस्यों द्वारा भाग लेते हैं।

2.108 यह आवश्यक है कि विनियमित संस्थाएं शेयर बाजारों में ब्याज दर फ्यूचर्स का लेनदेन करने से पहले नीतिगत ढांचा और यथोचित जोखिम नियंत्रण निर्धारित करने के लिए अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करें। रिज़र्व बैंक ओटीसी और शेयर बाज़ार में सौदाकृत व्युत्पन्नियों के विनियामक और मानदंडों में एकरूपता लाने के प्रयास कर रहा है।

जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता (सीबीएलओ)

2.109 वर्ष 2002-03 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में बाजार सहभागियों द्वारा मांग/सूचना मुद्रा बाजार पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जमानती उधार लेने और उधार देने की बाध्यताओं के माध्यम से जमानती उधार लेने/उधार देने

संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव की घोषणा की गयी है। जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता को मुद्रा बाजार लिखत के रूप में 20 जनवरी 2003 को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया गया है। जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता की प्रारंभिक परिपक्वता अवधि एक दिन से एक वर्ष तक की हो सकती है। अन्य मुद्रा बाजार लिखतों की तरह ही जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता के लिए विनियामक उपबंध और लेखा पद्धति लागू होगी। तथापि, मुद्रा बाजार लिखत के रूप में जमनाती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता को विकसित करने के लिए उसे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शर्तों से छूट दी गयी है, बशर्ते बैंक न्यूनतम 3 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखता हो। बैंक द्वारा ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही सुविधा के अंतर्गत भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास रखे 'गिल्ट खाता' में दर्ज प्रतिभूतियां यदि किसी दिन के अंत में अभारित रहती है, तो उन्हें संबंधित बैंक के सांविधिक चलनिधि अनुपात के संबंध में गणना में लिया जायेगा।

बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई

2.110 रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 1999 में बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई संबंधी कार्यकारी दल (अध्यक्षः श्री के.आर.राममूर्ति) की स्थापना की। कार्यकारी दल ने बिलों की भुनाई के लिए बैंकों को स्वतंत्रता देने के बारे में, विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकेतर वित्तीय कंपनियों के सुझावों की जांच की। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद पूर्ववर्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में 24 जनवरी 2003 को बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये और बैंकों को सूचित किया गया कि वे वास्तविक वाणिज्यिक /व्यापार बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान/पुनर्भुनाई करते समय नये दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें। संशोधित दिशानिर्देशों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- इस समय बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने ऐसे उधारकर्ता ग्राहक जिनके लिए उन्होंने नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर की हैं, के वास्तविक वाणिज्यिक और व्यापारिक लेनदेनों के संबंध में साख पत्रों के अंतर्गत ही साख पत्र खोलें और बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान करें । बैंकों द्वारा निभाव बिल की खरीद/भुनाई /बेचान नहीं किया जाना चाहिए।
- 'दायित्व-रहित' के साथ विनिमय बिल आहरित करने और 'दायित्व रहित' शीर्षक वाले साख पत्र जारी करने की पद्धति बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसी टिप्पणियों से बेचान करनेवाला बैंक परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत आहरणकर्ता के खिलाफ उसे प्राप्त दायित्व के अधिकार से वंचित रहता है।
- बिलों की पुनर्भुनाई अन्य बैंकों द्वारा धारित मीयादी बिलों तक सीमित रखनी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे हल्के वाणिज्यिक वाहनों और दो/तीन पहिये के वाहनों की बिक्री से जनित बिलों को छोड़कर बैंकेतर वित्तीय कंपनियों द्वारा पहले भुनाये गये बिलों की पुनर्भुनाई न करें।
- सेवा क्षेत्र के बिलों की भुनाई करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक सेवा दी गयी है और निभाव बिलों की भुनाई नहीं की जा रही है। सेवा क्षेत्र के बिल पुनर्भुनाई के लिए पात्र नहीं होंगे, एवं
- बैंकों को चाहिए कि वे जमानत के रूप में बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई का प्रयोग करते हुए रिपो लेनदेन न करें।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूल धन के लिए अलग-अलग लेनदेन (स्ट्रिप्स)

2.111 प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन के लिए अलग-अलग लेनदेनों के संबंध में परिचालनात्मक और विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं। कूपन स्ट्रिप्स के समेकन की तारीखों (25 मार्च/25 सितंबर और 30 मई / 30 नवंबर) को भविष्य में किये जानेवाले कूपन भुगतान की तारीखों के साथ संबंद्ध किया जायेगा। 7 अगस्त, 2003 को जारी 6.01 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2028 की कूपन भुगतान तारीखों को 25 मार्च/25 सितंबर के साथ संबद्ध किया गया । ऐसे प्राथमिक व्यापारी जो निर्धारित वित्तीय मानदंडों की पूर्ति करते हैं उन्हें प्रतिभूतियों के पूंजीगत मूल्य को ब्याज से अलग करने और उनका पुनर्निर्माण करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा। रिज़र्व बैंक का लोक ऋण कार्यालय स्ट्रिप्स बाण्डों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा।

भारत सरकार की ऋण पुनर्खरीद योजना

2.112 केन्द्रीय बजट 2003-04 में यह पाया गया कि विगत में उच्च ब्याज दर प्रणाली के अंतर्गत संविदाकृत केन्द्रीय सरकार के देशी ऋण के बैंकों की धारिताओं के बड़े अंश में अत्यल्प लेनदेन हुआ है। ऐसे ऋण सामान्यतः ह्रासमान ब्याज दरों के साथ उनके अंकित मूल्य पर प्रीमियम के योग्य होते हैं। तथापि, सीमित चलनिधि के कारण बैंक अक्सर उन्हें भुनाने में असमर्थ होते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने ऐसे बैंकों से स्वैच्छिक आधार पर ऋणों की पुनर्खरीद करने का प्रस्ताव किया है जिन्हें चलनिधि की आवश्यकता है और इसके

लिए सरकार ने पारदर्शी आधार पर प्रीमियम निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। यदि बैंक आय कर प्रयोजन से यह घोषित करता है कि प्राप्त प्रीमियम कारोबारी आय के रूप में है तो यह निर्णय किया गया कि उन्हें उस सीमा तक अतिरिक्त कटौती के लिए अनुमति होगी जिस सीमा तक वे ऐसी आय का प्रयोग अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए करते हैं।

2.113 आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के बाद 19 जुलाई 2003 को रिज़र्व बैंक द्वारा तुलनात्मक रुपए में अंतरल सरकारी प्रतिभूतियों के 19 उच्च कूपन की पहली बार पुनर्खरीद नीलामी की गयी। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित ऐसे अन्योन्याश्रयी मंच के माध्यम से ऋण की पुनर्खरीद नीलामी की गयी जहां सहभागियों को चालू परस्पर सक्रियाविधि से अपनी बोलियों में संशोधन करने के लिए अनुमति होती है। नीलामी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

- कुल 131 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनकी कुल राशि 14, 434 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) थी। समग्र राशि को स्वीकार किया गया क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित नयूनतम 7.5 प्रतिशत के न्यूनतम बट्टे या उससे अधिक पर प्रस्ताव रखा गया था। इन प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद का बाजार मूल्य 19,394 करोड़ रुपये था।
- पुनर्खरीद की गयी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम (3,472 करोड़ रुपये) और प्रोद्भूत ब्याज (500 करोड़ रुपये), और पुनः जारी की गयी प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम (1,120 करोड़ रुपये) और प्रोद्भूत ब्याज (313 करोड़ रुपये) के रूप में हुए आगम का हिसाब करने के बाद सरकार के निवल नकदी बहिर्वाह की राशि 2,539 करोड़ रुपये रही।
- प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के विनिमय में पूर्वघोषित रूप में समान अंकित मूल्य (14,434 करोड़ रुपये) की चार प्रतिभूतियां फिर से जारी की गयी।

शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन

2.114 सरकारी प्रतिभूतियों में फुटकर निवेशकों सहित निवेशकों के सभी वर्गों की व्यापक सहभागिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि शेयर बाजारों में जिस तरह से शेयरों का विपणन किया जाता है ठीक उसी तरह से राष्ट्रव्यापी, बेनामी, आदेश संचालित, स्क्रीन-आधारित विपणन प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के विपणन की शुरुआत की जाए। शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों के विपणन की सुविधा बैंकों के लिए इस समय उपलब्ध रिज़र्व बैंक की वार्तातय लेनदेन प्रणाली जो आगे भी जारी रहेगी के अतिरिक्त होगी। तदनुसार 16 जनवरी 2003 से राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार और ओवर दि काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया की स्वचालित आदेश संचालित प्रणाली में डीमैट रूप में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए अनुमति दी गयी है। यह योजना बाद में भारत सरकार के खजाना बिलों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए शुरू की जायेगी।

रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एकसमान लेखांकन दिशा-निर्देश

2.115 रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं द्वारा रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लेखा के लिए पालन की जानेवाली लेखा पद्धतियों की समीक्षा करने पर यह तथ्य सामने आया कि उनमें भिन्न-भिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं। एक-समान लेखा-प्रणाली को सुनिश्चित करने और उसमें पारदर्शिता का तत्व लाने के लिए फिम्डा के परामर्श से रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के एक समान लेखा के लिए दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया गया। एक-समान लेखा-विधि वित्तीय वर्ष 2003-04 से लागू होगी। इस समय प्रचलित एक-समान लेखा सिद्धांत रिज़र्व बैंक के साथ होनेवाली चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए लागू नहीं होंगे।

2.116 वर्तमान कानून के अंतर्गत एकमुश्त खरीद और एकमुश्त बिक्री संबंधी लेनदेनों के रूप में रिपो की कानूनी विशेषता को यह सुनिश्चित करते हुए अक्षत रखा जाता है कि बेची गयी प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के विक्रेता के निवेश खाते से निकाला जाता है और प्रतिभूतियों के क्रेता के निवेश खाते में शामिल किया जाता है। प्रतिभूतियों के क्रय को सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए प्राप्त की गयी अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सकता है। निवेश वर्गीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीदी गयी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को बही में अंकित करना होगा। किसी निवेश मूल्य-निर्धारण संबंधी मानदंड का पालन न करनेवाली संस्थाओं के मामले में प्राप्त की गयी प्रतिभूतियों का मूल्य-निर्धारण उनके पास होनेवाली उसी स्वरूप की प्रतिभूतियों के संबंध में उनके द्वारा जिन मानदंडों का अनुपालन किया जाता है, उनके अनुसार ही होगा। बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिपो के अंतर्गत बेची गयी और रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियों का तुलनपत्र में 'खातों पर टिप्पणियों' में प्रकटीकरण करें।

9. बैंकिंग क्षेत्र में कानूनी सुधार

2.117 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री एम.नरसिंहम) ने 1998 में यह पाया कि विशेषतः वित्तीय मध्यस्थता

में दक्ष व्यापार और वाणिज्य के लिए अनिवार्य कानूनी ढांचे में पार्टियों को संविदा करने और विवादों के त्वरित समाधान के लिए प्राप्त अधिकारों और देयताओं को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कई विधायी पहल की गयी हैं (बाक्स II.10)।

2.118 इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 के स्थान पर संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002 लायी गयी और जून 2002 से वह प्रभावी हुई। नई योजना में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय की समीक्षा करने का प्रावधान है। इस योजना में लोकपाल को बैंक और उसके ग्राहक तथा एक बैंक और दूसरे

बाक्स II.10 : बैंकिंग में कानूनी सुधार

अ. बनाये गये कानून

- 6 फरवरी 2003 से प्रभावी परक्राम्य लिखत (संशोधन और विविध उपबंध) अधिनियम, 2002 के वर्तमान अधिनियम में दिये गये अनुसार 'चेक' की परिभाषा का विस्तार करते हुए 'इलेक्ट्रानिक चेक' और 'चेक ट्रंकेशन' की संकल्पना लायी गयी है। चेक, अनादरण के लिए सजा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गयी है, नामित निदेशकों को अभियोग से अलग किया गया और संक्षिप्त मुकदमा, दैनंदिन सुनवाई और शपथपत्र द्वारा शिकायत के प्रमाण के द्वारा फौजदारी शिकायतों के शीघ्र और समयबद्ध निपटान के लिए प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआइ) अधिनियम, 2002 पहला अध्यादेश जारी किये जाने की तारीख अर्थात 21 जून 2002 से लागू हुआ है और 28 जनवरी 2003 की अधिसूचना द्वारा सहकारी बैंकों के लिए भी वह लागू हुआ है।
- भारत सरकार द्वारा जनवरी 2003 में अधिसूचित काले धन की वैधता अवरोधी अधिनियम, 2002 का उद्देश्य है- अपराध से संबद्ध धन के जोखिम का सामना करना और उपयुक्त कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना।
- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 जो 1984 के अधिनियम के स्थान पर अगस्त 2002 से लागू हुआ उसमें बहु राज्य सहकारी समितियों को जनता के हित में निदेश देने या ऐसी बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में उनके बोर्ड का अधिक्रमण करने जिनमें चुकता शेयर पूजी या केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल शेयर 51 प्रतिशत से अन्यून हैं।

आ. संसद में लाये गये विधेयक

- संसद में दिसंबर 2000 में लाये गये वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 में ऐसा प्रस्ताव है कि सभी वित्तीय कंपनियों का रिज़र्व बैंक के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए, प्रबंध-तंत्र में किसी मूलभूत परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लिया जाए, निवल स्वाधिकृत निधियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता का निर्धारण तथा सभी अनिगमित संस्थाओं को जनता से जमाराशियां जुटाने के लिए किसी भी रूप में विज्ञापन जारी करने के लिए प्रतिबंध लगाना।
- बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2003 संसद में अप्रैल 2003 में लाया गया। इस विधेयक में इस वर्तमान प्रतिबंध को हटाने का प्रावधान है कि किसी बैंकिंग कंपनी में उस बैंकिंग कंपनी के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त के मताधिकार का मतदान में प्रयोग करने के लिए धारित किसी शेयर के संबंध में शेयर धारण करने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं है। इस संशोधन से अपेक्षित है कि विदेशी बैंकों को अपनी सहायक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- बैंककारी विनियमन (संशोधन) और विविध उपबंध विधेयक,2003 में 'अनुमोदित प्रतिभूतियां', 'बैंकिंग', और 'बैंकिंग नीति' की परिभाषा में संशोधन करने; बैंकिंग कंपनी के लिए बीमा, डेरिवेटिव, प्रतिभूतिकरण लेनदेन करने एवं बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट, डेबिट और अन्य कार्ड का कारोबार करने के लिए प्रावधान करने; रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना बैंकिंग कंपनी से इतर किसी कंपनी द्वारा 'बैंक','बैंकर' और 'बैंकिंग' शब्दों का प्रयोग करने के लिए दण्डात्मक देयता; बैंकों की सहयोगी कंपनियों को सम्बद्ध उधार देने और अग्रिम लेने पर प्रतिबंध लगाने; रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना बैंकिंग कंपनियों की शेयर पूंजी में पांच प्रतिशत से अधिक के अभिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने और कतिपय परिस्थितियों में बैंकिंग कंपनी के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण करने के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकार देने का प्रस्ताव है।

इ. सरकार को प्रस्तुत विधेयक

- रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणालियों पर गठित समिति (अध्यक्षः डा. आर.एच.पाटिल) की सिफारिश पर आधारित भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2002 में देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए अलग कानून बनाने की बात कहीं गई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संशोधन में मौद्रिक प्रबंध से सरकार ऋण प्रबंध को अलग करने, भारत से बाहर के अन्य केन्द्रीय बैंकों या मौद्रिक प्राधिकरणों का पारस्परिक आधार पर ऋण सूचना देने, मौद्रिक नीति के प्रबंध में व्यावसायिक लचीलापन लाने के लिए निर्धारित सीमा को हटाते हुए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को संगत बनाने एवं निधि के इलेक्ट्रानिक अंतरण और बहुविध भुगतान प्रणाली के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकार देने का प्रस्ताव है।
- बैंक जमा बीमा निगम विधेयक वित्त मंत्रालय, रिज़र्व बैंक और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के संयुक्त दल की सिफारिशों पर आधारित है जिसमें प्रीमियम के भुगतान में चूक करने के मामले में पंजीकरण रद्द करने के लिए आवश्यक अधिकार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देकर उसे सक्रिय भूमिका देने, बैंक की सुदृढ़ता के रूप में बैंक द्वारा सूचना का आदान-प्रदान करने, आदि की कल्पना की गयी है।

बैंक के बीच के विवादों को एक विवाचक के रूप में समझौता, मध्यस्थता और विवाचन की प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने के लिए अधिकार दिये गये हैं।

10. प्रौद्योगिक गतिविधियां

भुगतान और निपटान प्रणाली

2.119 निधियों के सुरक्षित, शीघ्र और समय पर अंतरण के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देश में प्रचलित निपटान प्रणालियां पारंपरिक रूप से आस्थगित निवल निपटान (डीएनएस) प्रणालियां रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक की भुगतान और निपटान प्रणालियों संबंधी समिति ने प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत निश्चित किये हैं। ये सिद्धांत इस समय किसी भी देश में आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और संहिता के रूप में प्रचलित हैं । भारत के संदर्भ में इन सिद्धांतों के अनुपालन की स्थिति व्यापक रूप में बाक्स II.11 में दी गयी है।

फुटकर निधि अंतरण प्रणाली

2.120 फुटकर निधि अंतरण प्रणाली की गैर-पारंपरिक विधि के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है। आरबीआईएफटी योजना का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (ईएफटी) ने 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में दस गुना सर्वाधिक वृद्धि दर्शायी है। वर्ष 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा के संदर्भ में ईसीएस (क्रेडिट समाशोधन) में 26 प्रतिशत, जबकि ईसीएस (डेबिट समाशोधन)ने लेनदेनों की संख्या के संदर्भ में 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। एक निश्चित और सुरक्षित इलेक्ट्रानिक तरीके से निधियों के शीघ्र अंतरण की व्यवस्था करने के लिए वर्ष के दौरान विशेष ईएफटी (एसईएफटी) साधन की शुरूआत की गयी जिसमें 2,300 से अधिक नामित बैंक शाखाओं के साथ तकरीबन 127 केन्द्र शामिल हैं। वर्ष के दौरान भारी मात्रा में कार्डों का प्रयोग भी किया गया। भारतीय परिदृश्य में जहां जारी किये गये क्रेडिट कार्डों की तुलना में डेबिट कार्ड में अधिक तेजी से वृद्धि हुई वहीं स्मार्ट कार्ड पर आधारित उत्पाद अभी-अभी प्रवेश कर रहा है। वर्ष के दौरान अलग-अलग बैंक द्वारा स्वाधिकृत स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) से लेकर साझे एटीएम तक आये उल्लेखनीय परिवर्तन को देखा गया, साझे एटीएम में कई बैंक सहभागी होते हैं और बाहर से सेवाएं ली जाती हैं।

समितियों की रिपोर्टें

भुगतान प्रणाली पर समिति

2.121 भुगतान प्रणाली संबंधी विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए बैंकिंग उद्योग से व्यापक आधार पर प्रतिनिधि लेते हुए भुगतान प्रणाली पर समिति (अध्यक्षः डा. आर.एच. पाटिल) गठित की गयी थी। समिति ने भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित पहलुओं की जांच की। इस समिति की अन्य सिफारिशों के साथ मुख्य सिफारिश देश में भुगतान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए अलग कानून बनाना था। प्रारूप (ड्राफ्ट) में नेटिंग, निपटान के अंतिम स्वरूप और विनियमावली बनाने की शक्तियां देने के लिए कानूनी आधार दिया गया है। प्रारूप (ड्राफ्ट) विधेयक के साथ समिति की रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दी गयी है।

चेक ट्रंकेशन पर कार्यकारी दल

2.122 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के संशोधन की स्वीकृति के साथ ही रिज़र्व बैंक ने चेक जमा करके रखने (चेक ट्रंकेशन) और ई - चेकों पर गठित किये गये एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डा. आर.बी. बर्मन) ने जुलाई 2003 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की है (i) भौतिक चेकों का प्रथम जमाकर्ता (प्रस्तुतकर्ता बैंक) के स्थान पर ट्रंकेशन तथा वर्तमान माइकर फील्ड की संरचना के आधार पर निपटान, (ii) पहले चरण में चार महानगरीय केन्द्रों पर सभी बैंकों और सभी समाशोधन केन्द्रों सहित नियत तारीख से लागू करने का लक्ष्य बनाया है। प्रस्तुतकर्ता बैंक के पास ही चेक जमा करके रखवाने की सिफारिश की गयी है। किसी महानगरीय केन्द्र में और पास के दो छोटे शहरों में एक वर्ष की अवधि के भीतर एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित करने की भी सिफारिश की गयी है ताकि अंतर-शहर समाशोधन पर पड़नेवाले प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जा सके।

वित्तीय क्षेत्र में अति महत्त्वपूर्ण मूलभूत सुविधा पर कार्यकारी दल

2.123 अति महत्त्वपूर्ण कम्प्यूटर संबंधी मूलभूत सामग्री की सुरक्षा के लिए आयोजना उपलब्ध रखने के प्रयास के एक भाग के रूप में एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री आर. गांधी) ने विभिन्न मामलों का विश्लेषण किया और सरकार द्वारा अति महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली सुरक्षा पर गठित कार्यकारी दल के एक भाग के रूप में अपनी रिपोर्ट

बाक्स II.11 : प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों के अनुपालन की स्थिति

सिद्धांत	टिप्पणी
1. प्रणाली के लिए सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत सुस्थापित कानूनी आधार होना चाहिए।	वर्तमान आस्थगित निवल निपटान की सभी प्रणालियां सहभागी बैंकों और समाशोधन गृह के प्रबंधक के बीच के संविदागत समझौते पर आधारित हैं।
2. प्रणाली के नियमों और क्रियाविधियों से सहभागियों को उनके द्वारा उठाये जानेवाले हरेक वित्तीय जोखिम पर प्रणाली के प्रभाव की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।	समाशोधन के लिए नियम और क्रियाविधियां एक समान नियम और विनियमावली के मॉडल के रूप में विद्यमान हैं और उन्हें सभी समाशोधन गृहों ने अपनाया है। इसमें सभी सहभागियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट किया गया है। ईसीएस - क्रेडिट और डेबिट, और ईएफटी जैसी इलेक्ट्रानिकी पर आधारित प्रणालियों के लिए क्रियाविधिगत दिशा-निर्देशों में संबंधित प्रणालियों के सभी सहभागियों के अधिकार और बाध्यताओं को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है।
3. प्रणाली में ऋण जोखिम और चलनधि जोखिम के प्रबंध संबंधी क्रियाविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।	ऐसे जोखिमों के कारण उत्पन्न होनेवाली किसी भी स्थिति का प्रबंध करने के लिए सुनिर्धारित क्रियाविधियां विद्यमान हैं। एक समान नियम और विनियमावली मॉडल के नियम 11 में आंशिक रुप से जारी रखने की सुविधा है। चूक करनेवाले बैंक पर आहरित सभी लिखतों को वापस लेकर समाशोधन किया जाता है क्योंकि वह समाशोधन में भाग नहीं लेता है फिर भी इससे जोखिम निर्माण भी नहीं होता।
4. प्रणाली में लेनदेन के दिन ही त्वरित अंतिम निपटान अधिमानतः, दिन के दौरान या कम से कम दिन के अंत में करने की व्यवस्था होनी चाहिए।	देश के मुख्य केन्द्रों के समाशोधन जो समाशोधन मूल्य के 85 प्रतिशत से अधिक होता है, में समाशोधन निपटान का हिसाब उसी दिन होता है। प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अलग-अलग समय पर और अधिकतम दिन के अंत में निपटान किया जा रहा है। इसमें सुपुर्दगी बनाम भुगतान लेनदेन (सरकारी प्रतिभूतियां), अंतर बैंक समाशोधन और अधिक मूल्य का समाशोधन भी शामिल है। कम मूल्य के माइक्र समाशोधन के मामले में अदत्त चेक के लिए 'वापसी समाशोधन' तथा साथ ही अदाकर्ता बैंक शाखा के लिए भुगतान लिखत का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन करने की सांविधिक आवश्यकता के लिए अंतिम निपटान के लिए अधिक समय अर्थात दिन के अंत तक का समय लगता है।
5. जिस प्रणाली में बहुपक्षीय नेटिंग होता है उसमें यदि सहभागी बड़ी एकल निपटान बाध्यता निपटा नहीं सकते तो कम से कम दैनिक निपटान समय पर पूर्ण करने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	निपटान जोखिम का समाधान आंशिक रूप से जारी रखने की प्रणाली द्वारा किया जाता है। आज तक सभी प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों में दैनिक आधार पर निपटान में असफलता का एक भी उदाहरण नहीं है।
6. जहां निपटान आस्तियों के प्रयोग से होता है वहां अधिमानतः केन्द्रीय बैंक पर दावा होना चाहिए और जहां अन्य आस्तियों का प्रयोग होता है वहां उन पर अत्यंत कम या कम ऋण जोखिम होना चाहिए।	अंतिम निपटान मुख्य केन्द्रों में रिज़र्व बैंक की बहियों में होता है और अन्य केन्द्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (मुख्यतः भारतीय स्टेट बैंक) की बहियों में होता है।
7. प्रणाली में अति-सुरक्षा और परिचालनात्मक विश्वसनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए और दैनिक प्रोसेसिंग को समय पर पूर्ण करने के लिए अनुषंगी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।	चेक समाशोधन के लिए अधुनातन चेक प्रोसेसिंग प्रणाली; प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के लिए अन्य निपटान सख्त रूप में होने, विश्वसनीय और सुरक्षित कम्प्यूटर प्रणालियों के होने पर ही अति-सुरक्षा और विश्वसनीयता प्राप्त की जा सकती है।
8. प्रणाली में भुगतान करने के लिए ऐसे साधन होने चाहिए जो उसके प्रयोगकर्ता के लिए व्यवहार्य और अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावशील हो।	वर्तमान प्रणालियों का स्वरूप उनके कई वर्ष लागू रहने के परिणामस्वरूप बना हुआ है और इसलिए वे सहभागियों की आवश्यकताओं तथा समग्र रूप में अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अनुकूल हैं। भुगतान प्रणाली के निरीक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने और क्रियाविधियों में परिवर्तन लाने से प्रणाली की प्रभावशालीता को बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किये है।
9. प्रणाली में सहभागिता के लिए वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक प्रकटीकरण संबंधी मानदंड होना चाहिए जिससे यथोचित और मुक्त पहुंच हो सके।	समाशोधन गृह के सदस्य बनने के लिए निर्धारित पहुंच संबंधी मानदंड सुस्पष्ट हैं और उन्हें व्यक्त किया गया है। इसके ग्राहक वे बैंक होंगे जो कतिपय अन्य न्यूनतम मानदंड की पूर्ति करते हैं (डाक घरों के मामले में लागू नहीं)। प्राथमिक व्यापारियों और म्युचुअल फंड जैसे अन्य सदस्यों के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा पात्रता संबंधी सुस्पष्ट नियम निर्धारित किये गये हैं। समाशोधन गृहों के लिए एकसमान नियम और विनियमावली माडल में समाशोधनगृह से ऐसे सदस्य के विधिपूर्वक निष्कासन के लिए व्यवस्था है यदि उनके सदस्य बने रहने से प्रणाली के निर्बाध संचालन में अस्त-व्यस्तता/ जोखिम का खतरा हो।
10. संचालन संबंधी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से जवाबदेही और पारदर्शी होनी चाहिए।	समाशोधनगृह सदस्य बैंकों का एसोसिएशन है जो एक समान नियम विनियमावली के नियंत्रण में होते हैं। इसके दैनिक संचालन के लिए स्थायी समिति होती है और आम सभा में सदस्यों द्वारा सभी मुख्य निर्णयों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। समाशोधन गृह द्वारा नियंत्रित बैंक के साथ संविदा करनवेाले सदस्य के संबंध में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

सरकार को प्रस्तुत की। इस दल ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के भाग के रूप में अति महत्त्वपूर्ण बुनियादी सुविधा स्वरुप सिस्टमों के प्रकारों का उल्लेख किया है।

बैंकिंग में प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियां

2.124 कई बैंकों ने स्थायी बैंकिंग समाधान बना लेने की प्रक्रिया शुरू की है और यह प्रक्रिया कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। जहां नये निजी बैंकों, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ पुराने बैंकों ने ऐसी प्रणालियां पहले से ही शुरू कर दी हैं वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस आवश्यकता की संपूर्ति करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों के कारोबार के कम्प्यूटरीकरण को अधिक महत्त्व प्राप्त हो रहा है। जहां, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने पहले से ही अपने कारोबार के 70 प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण के स्तर को पार किया है, वहीं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण की प्राप्ति की सलाह से इन बैंकों में इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए होड़-सी मची हुई है।

2.125 बैंकों में नेटवर्किंग भी एक ऐसी महत्त्वपूर्ण गतिविधि है जिस पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) का एक भाग 'वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनलों' की संख्या जो मार्च 2002 के अंत से 924 बढ़कर जून 2003 के अंत में 2000 से भी अधिक हो गयी। वर्ष के दौरान प्रमाणीकरण प्राधिकारी के रूप में बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान को अधिसूचित करने और विभिन्न बैंकों में पंजीकरण प्राधिकारियों की स्थापना के साथ डिजिटल हस्ताक्षरों और पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित एनक्रिप्शन का प्रयोग करते हुए सुरक्षित इलेक्ट्रानिक संदेश के आदान प्रदान किये जा सकेंगे।

बैंकों की सूचना प्रौद्योगिकी नीति और कारोबारी नीति का एकीकरण

2.126 विश्व बैंक ने छः सहभागी बैंकों (पीबीएस) की वित्तीय क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत 1995 में 83.7 मिलियन अमरीकी डालर का आधुनिकीकरण और संस्थागत विकास ऋण मंजूर किया। वित्तीय सहायता देने में निहित उद्देश्य यह है कि सहभागी बैंकों की वित्तीय मजबूती बनाने और अधिक उदारीकृत कारोबार एवं बैंकिंग परिवेश में दीर्घावधि की प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए मदद करना।

2.127 विश्व बैंक समीक्षा दल ने फरवरी 2001 में अपने दौरे के समय यह पाया कि सहभागी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के प्रयास बही खाते (बुक-कीपिंग) और समाधान के क्षेत्र में अधिक रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मूलभूत सुविधा कारोबार और ग्राहक की आवश्यकताओं के बजाय प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होते हुए पायी गयी। कम्प्यूटरीकरण के प्रभाव की विशेषता "हार्डवेयर" स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करने की रही और उत्पादकता में वह पूर्णतः प्रतिबिंबित नहीं हुई। उन्होंने यह भी पाया कि नेटवर्किंग में हुई प्रगति संतोषजनक नहीं है। सहभागी बैंकों की कारोबारी नीति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों के एकीकरण का अभाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां उचित मूलभूत सुविधा स्थापित हुई थी वहां भी ग्राहकों ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए उनका प्रयोग नहीं किया और इसलिए बैंकों को इसके परिणामात्मक लाभ नहीं मिले। विश्व बैंक ने सुझाव दिया कि रिज़र्व बैंक बैंकों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति के साथ कारोबारी नीति का एकीकरण करने में सहायता करने के लिए अग्रणी भूमिका ले सकता है और बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रोद्योगिकी नीति के साथ बैंकों की नीतिगत कारोबारी योजनाओं के एकीकरण का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान की सेवाएं ली जाएं। इस अध्ययन का उद्देश्य छः सहभागी बैंकों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण करना नहीं बल्कि इन बैंकों को वृत्त अध्ययन के रूप में मानना है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने 30 मई 2003 को इस विषय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेज दी है और बैंकों को यथोचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उस पर विचार किया जा रहा है।

11. अन्य गतिविधियां

चेकों के लिए तत्काल जमा देना

2.128 भारतीय बैंक संघ की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि बाहरी / स्थानीय चेकों का तत्काल जमा देने संबंधी वर्तमान सीमा 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी जाए जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों की शर्त पर होगी। उक्त दिशा-निर्देशों मुख्यतः इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम शेष राशि की कोई शर्त रखे बिना सभी व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को ऐसी सुविधा देने, ग्राहक के खाते की उचित परिचालन स्थिति, बिना भुगतान किये चेक लौटा दिये जाने की स्थिति में जितनी अवधि तक बैंक निधियां रहित स्थिति में रहता है उसके लिए ब्याज लगाने और शाखाओं में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होने का प्रचार करने से संबंधित हैं।

बचत बैंक खाते

2.129 बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को बचत बैंक खाता खोलने के समय न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता सूचित करें और इस संबंध में बाद में होनेवाले कोई परिवर्तन भी खाताधारियों को सूचित करें जो जैसा वे उचित समझे उतना पारदर्शी स्वरूप में हो।

2.130 इस मामले की समीक्षा किये जाने पर बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदान / सहायता के संबंध में राज्य सरकारी विभागों / निकायों/ एजेंसियों के नाम में एक बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गयी है जो संबंधित सरकारी विभागों से इस बात को प्रमाणित करते हुए कि उस सरकारी विभाग या निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गयी है, एक प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किया जाए। इस संबंध में बैंकों को दिसंबर 2002 में एक संशोधित निदेश जारी किया गया है।

चेक भुनाया न जाना - क्रियाविधि को सरल बनाना

2.131 बैंकों को 28 जनवरी 1992 को न भुनाये गये चेक ग्राहकों को 24 घंटों के भीतर लौटाने / भेजने के संबंध में गोइपोरिया समिति की सिफ़ारिशें कार्यान्वित करने के बारे में सूचित किया गया। तथापि, शेयर बाजार घोटाले तथा उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफ़ारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी न भुनाये गये चेकों से संबंधित वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा की जा रही है। यह सुझाव दिया गया कि धन के अभाव के कारण भुनाये न गये लिखतों के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अतिरिक्त बैंक 26 जून 2003 के परिपत्र में दिये गये अतिरिक्त अनुदेशों का पालन करें जिनमें अपर्याप्त निधि के कारण भुनाये न जानेवाले सभी चेक और न कि केवल शेयर बाजार के निपटान लेनदेन से संबंधित ही चेक, शामिल हैं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ - साथ भुनाये न गये चेकों को लौटाने / भेजने, ऐसे चेकों के संबंध में बैंकों की एमआइएस और बार-बार चेक न भुनाये जाने के मामलों पर कार्रवाई संबंधी क्रियाविधि शामिल है।

2.132 बैंकों को अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से भुनाये न गये चेको पर अन्तर्निहित निवारक उपायों के साथ उचित क्रियावधि अपनाने, अपने अधिकारियों और स्टाफ के लिए आवश्यक आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धान्त बना लेने के लिए भी सूचित किया गया।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज वित्त योजना

2.133 बैंकों को सूचित किया गया कि वे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए दिये जानेवाले ऋणों पर ऋण की राशि की मात्रा पर ध्यान दिये बिना उनकी पूर्व उधार दर के संदर्भ में ब्याज लगायें। यह देखा गया कि कुछ बैंक उधारकर्ताओं को उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं / व्यापारियों से मिलनेवाले बट्टे को समायोजित करते हुए उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु अग्रिमों पर निम्न / शून्य प्रतिशत ब्याज दरें देते थे। कुछ बैंक भिन्न भिन्न समाचार-पत्रों और मिडिया में विज्ञापन देते हुए ऐसी योजनाएं चलाते थे जिसमें यह उल्लेख होता है कि वे ऐसी योजनाओं के अधीन उपभोक्ताओं को वित्त देते हैं। चूंकि ऐसी ऋण योजनाओं के परिचालन में पारदर्शिता नहीं होती है और इससे ऋण उत्पादों की मूल्यन व्यवस्था को क्षति पहुंचती है, इसलिए बैंकों को ऐसी बातों से दूर रहने के लिए सूचित किया गया।

भारतीय संयुक्त उद्यमों / विदेश में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं को ऋण सुविधाएं

2.134 वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमावली में प्राधिकृत व्यापारियों को उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाजारों में निवेश कारोबार चलाने की अनुमति है। उपर्युक्त को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारतीय संयुक्त उद्यमों / विदेश में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं को ऋण / ऋणेतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनकी अक्षत टीयर - I पूंजी के 5 प्रतिशत की वर्तमान उच्चतम सीमा संशोधित कर अक्षत पूंजी निधि (टीयर I और टीयर II पूंजी) का 10 प्रतिशत कर दिया जाए। विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा (एफ सी एन आर (बी)), विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) और निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खातों में धारित निधियों के विनियोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को इस सुविधा की अनुमति दी गयी है। इसकी स्थिति की समीक्षा एक वर्ष बाद की जायेगी।

अपने ग्राहक को जानिये '- जमाकर्ताओं की पहचान

2.135 'अपने ग्राहक को जानिये' सिद्धान्त के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की पहचान के संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं और बैंकों को सूचित किया है कि वे वित्तीय धोखाधड़ियों को नियंत्रित करने, काले धन को वैध बनाने के कार्यों और संशयास्पद कार्यों की पहचान करने और भारी मूल्य के नकदी लेनदेनों की संवीक्षा/ निगरानी के लिए प्रणालियां और क्रियाविधियां बनायें। उन्हें समय समय पर यह भी सूचित किया गया है कि वे धोखाधड़ी की तैयारी के लिए बैंकिंग तंत्र के दुरूपयोग न होने देने की दृष्टि से नये ग्राहकों के खाते खोलते समय सतर्क रहें। हाल की गतिविधियों, देशी और विदेशी दोनों ही, को देखते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड और नकदी लेनदेनों संबंधी वर्तमान अनुदेशों को दोहराने, पुख्ता बनाने और समेकित करने का निर्णय लिया गया ताकि आपराधिक गतिविधि (जमा और उधारकर्ता दोनों ही खातों के संबंध में) से प्राप्त निधियों के अंतरण या जमा के लिए या आतंकवाद का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों का अज्ञानता से उपयोग किया जाना रोका जाए।

भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए बैंक वित्त

2.136 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का देश की आर्थिक सुधार प्रक्रिया के साथ संबंध है और बोलीकर्ताओं को विनिवेश कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने में बैंक वित्त की उपलब्धता से मदद मिलेगी। अतः बैंकों को भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अधिग्रहण के लिए सफल बोलीकर्ताओं को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गयी थी। तथापि, प्रारंभ में यह निर्दिष्ट किया गया कि बैंक के पास बंधक रखे गये शेयर बिना अवरूद्ध अवधि के बाजार में विक्रेय होने चाहिए। इन निर्देशनों को बाद में बैंकों को विनिवेश कंपनी के सफल बोलीकर्ताओं द्वारा अधिग्रहित / अधिग्रहित किये जानेवाले शेयरों पर अवरुद्ध अवधि / या अन्य ऐसे प्रतिबंधों जिनसे कि उनकी तरलता प्रभावित हो जाती है, की शर्त पर होने पर भी सफल बोलीकर्ताओं को वित्त प्रदान करने की अनुमति देते हुए उदार बनाया गया बशर्ते वे कतिपय शर्तें पूरी करते हों।

2.137 बैंकों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दूसरी कंपनियों में निवेश और अंतर-कंपनी ऋणों / अन्य कंपनियों को / में जमाराशियां देने / रखने के संबंध में वित्तपोषण करने से प्रतिबाधित किया गया है। इस स्थिति की समीक्षा की गयी और बैंकों को सूचित किया गया कि विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीवी) जो कि कतिपय शर्तें पूरी करते हैं, को निवेश कंपनियों के रूप में नहीं माना जाना है और इसलिए उन्हें गैर-बैंकिंग कंपनियों के रूप में नहीं माना जायेगा और इस प्रकार 'विशेष प्रयोजन के साधन' भारत सरकार द्वारा किये जानेवाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए बैंक वित्त के पात्र होंगे।

12. संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन

2.138 संसद ने 27 अप्रैल 2001 को शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों के संबंध में एक संयुक्त समिति (अध्यक्षः श्री पी.एम. त्रिपाठी) गठित की, जिसके सदस्य संसद सदस्य थे । संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय थेः

- सभी लेनदेनों की विविध शाखाओं में पायी गयी अनियमितताओं और हेरफेर का अभ्यास करना जिसमें शेयरों और अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित अंतरंगी व्यापार और बैंकों, दलालों और प्रवर्तकों, शेयर बाजारों, वित्तीय संस्थाओं, कंपनी संस्थाओं और विनियामक प्राधिकारियों की भूमिका शामिल है;
- ऐसे लेनदेनों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों का दायित्व निर्धारित करना;
- नियंत्रण और पर्यवेक्षी तंत्र में यदि कोई दुरूपयोग हो और असफलता / अपर्याप्तता हो तो उसकी पहचान करना ;
- ऐसी असफलता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों और तंत्र में सुधारों की सिफ़ारिश करना;
- छोटे निवेशकर्ताओं की रक्षा के लिए उपाय सुझाना; और
- विनियमों का उल्लंघन करनेवाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर उपाय सुझाना।

2.139 विभिन्न एजेंसियों और अन्यों के साथ चर्चाओं के कई दौर के बाद समिति ने 19 दिसंबर 2002 को संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त संसदीय समिति ने कुल मिलाकर 275 निष्कर्ष / सिफ़ारिशें की हैं; जिनमें से एक तिहाई अंश रिज़र्व बैंक से संबंधित था। इन निष्कर्षों / अनियमितताओं में मुख्य रूप से कुछ वाणिज्य / सहकारी बैंकों द्वारा कतिपय शेयर दलालों के साथ मिलकर बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में रिज़र्व बैंक के मानदंड / मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लंघन, निरीक्षण रिपोर्टों के अनुपालन में शिथिलता, उधारकर्ताओं द्वारा निधियों को दूसरे कार्य में लगाने, घोटाले को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विनियामकों की ओर से समन्वयन, प्रभावी निगरानी / शीघ्र कार्रवाई के अभाव आदि के संबंध में चिंता व्यक्त की गयी है। समिति ने अन्य बातों के साथ साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के पर्यवेक्षण / निगरानी को और पुख्ता बनाने; पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कानूनी सुधार करने, घोटाले से संबंधित लेनदेनों में लगे अधिकारियों / उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई, विनियामकों द्वारा समेकित रूप से पूर्वानुमान एवं 'पहले से अधिकृत' कार्य करने, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को बीमा रक्षा देने और बैंकों में कंपनी नियंत्रण की सिफ़ारिश की है।

2.140 शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संक्रमण अवस्था में हुई कतिपय अनियमितताएं तत्काल आधार पर दूर करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिश के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में लिया गया है (बाक्स II.12)।

बाक्स II.12 : शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिशों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये है :

क) शहरी सहकारी बैंक

i) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करें जो निरीक्षण रिपोर्ट में सूचित टिप्पणियों संबंधी अनुपालन रिज़र्व बैंक को निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ii) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को भेज दें।

iii) सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा लागू कर दी गयी।

iv) शहरी सहकारी बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं कि लेखा-परीक्षा समिति के लिए रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना अनिवार्य बना दिया जाए।

v) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें निरीक्षण के दौरान सूचित कमियों / अनियमितताओं को निरीक्षण की तारीख से चार महीनों की अधिकतम अवधि के भीतर हर मामले में विशिष्ट अनुपालन देने के लिए सभी संदर्भों में दूर कर लेना चाहिए।

vi) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे बैंकों में नियंत्रण मानकों में सुधार लाने की दृष्टि से बैंकिंग और संबंधित क्षेत्रों के अनुभवी दो व्यावसायिक निदेशकों को विनियुक्त कर लें।

vii) रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी (आफ साइट सर्विलियन्स) को पुख्ता बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य से पूर्व चेतावनी संकेत पाने के लिए रिज़र्व बैंक में एक अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट सर्विलियन्स) निगरानी प्रभाग स्थापित किया गया हैं जिससे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने में सुविधा होगी।

viii) रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एन आइ बी एम), पुणे जैसी बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) प्रारंभ किया है ताकि शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्णय लेने और विनियामक अनुपालन के लिए समर्थन प्रदान करनेवाली एक प्रबंध सूचना प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

ix) जून 2002 से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी है जिसके अधीन शहरी सहकारी बैंकों से अपने आस्ति-देयता असंतुलनों का स्वीकार्य वहनीय स्तर तक प्रबंधन करा लेना अपेक्षित है।

x) रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को सभी शहरी सहकारी बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर निगरानी रखने के लिए सूचित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रारक्षित नकदी निधि और चल आस्तियाँ बनायी रखने संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए उच्च स्तरीय ऋण-जमा अनुपात प्राप्त न किये जाऐ।

xi) निदेशकों और उनके संबंधियों के हितवाले प्रतिष्ठानों (संस्थाओं) को ऋण और अग्रिम देने पर पाबंदी लगाने के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को अनुदेश जारी किये गये हैं।

ख) वाणिज्य बैंक

i) बैंकों को उनके सामने आनेवाली विभिन्न जोखिमों की पहचान, उपाय, निगरानी और नियंत्रण करने के लिए एक उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए तथा अपने बोर्डों को जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता और रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने के लिए सूचित किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

iii) लेखाकरण मानकों के एकसमान अनुपालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

iv) रिज़र्व बैंक द्वारा अपने 11 मई 2001 के परिपत्र में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर पूंजी बाजार जोखिम सीमा संबंधी निर्धारित प्रणाली और जोखिम नियंत्रण क्रियाविधियां अपनायी जाने की बात दोहरायी गयी है।

v) भुनाये न जानेवाले चेकों के संबंध में बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली क्रियाविधियों के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किये गये हैं।

ग) विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी)

i) विदेशी कंपनी निकायों द्वारा निवेश संविभाग योजना के अधीन निवेशों पर 29 नवंबर 2001 से पाबंदी लगायी गयी। बाद में 16 सितंबर 2003 से विदेशी कंपनी निकायों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अधीन नये निवेश (स्वतः (आटोमेटिक) मार्गवालों सहित) करने तथा वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अधीन अनिवासियों को उपलब्ध विभिन्न माध्यमों / योजनाओं के अधीन अन्य निवेशों / जमाराशियों / ऋणों में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही, विदेशी कंपनी निकायों द्वारा भारत में नये अनिवासी (विदेशी) खाते (एनआरई) (बचत, चालू, आवर्ती या सावधि), विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] और अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते खोलने और रखने की सुविधा समाप्त हो गयी है।

ii) बैंकों से अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकाय (विदेशी कंपनी निकायों के मामले में केवल बिक्री) के संबंध में बिक्री / खरीद संबंधी सांख्यिकी प्राप्त करने के लिए एक फ्लापी आधारित प्रणाली लागू की गयी है। उक्त आंकड़े ई-मेल द्वारा प्राप्त करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस बीच विकसित किया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के संबंध में भी जहां आंकड़ों का संग्रहण फ्लापी आधारित होता है, आंकड़े ई-मेल के जरिए प्राप्त कर सकनें के लिए इस क्रियाविधि को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और संशोधित क्रियाविधि शीघ्र ही लागू किये जाने की आशा है। एक बार एकीकृत विदेशी मुद्रा प्रबंधन प्रणाली (आइएफएमएस) की सुविधाप्राप्त वेब आधारित सूचना देना कार्यान्वित हो जाने पर निगरानी की प्रक्रिया में और सुधार आयेगा।

घ) अन्य उपाय

i) रिज़र्व बैंक ने प्रणालीगत क्षेत्रों के मामले में विभिन्न कार्यकारी दल गठित किये हैं यथा दुर्भावपूर्ण प्रयोजन से निधियों को अपवर्तित करने वाले उधारकर्ताओं के विरुद्ध दण्ड-स्वरूप उपाय और दांडिक कार्रवाई, बैंकों का कार्य हाथ में लेने / विलयन संबंधी प्रायोगिक नीति विवरण तैयार करना, वित्तीय बाजारों के विनियमन से संबंधित कानूनों में विद्यमान अड़चनों की पहचान करना, शहरी सहकारी बैंकों पर पर्यवेक्षण की वर्तमान प्रणाली की जांच आदि। उनकी सिफ़ारिशों की जांच की जा रही है / उन्हें अंतिम रुप दिया जा रहा है।

ii) रिज़र्व बैंक ने गलत विवरणियों, रिज़र्व बैंक अनुदेशों / निदेशों का अनुपालन न करने और नामिती निदेशक की भूमिका के संबंध में दण्डस्वरूप प्रावधान बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में बैंककारी विनियम अधिनियम से संबंधित संशोधन भारत सरकार को भेज दिये हैं।